पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या– 5493/2022

= =

स्नेही कुमारी, पिता – धीरेन्द्र कुमार सिन्हा, निवासी बीरपुर, अस्पताल रोड, शिव मंदिर के पास, वार्ड नं.1, बसंतपुर, सुपौल बाजार, पिन कोड– 854340

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग (बी.पी.एस.सी.), बेली रोड पटना– 2.
4. सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग (बी.पी.एस.सी.), बेली रोड पटना– 2.
5. संयुक्त सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग (बी.पी.एस.सी.), बेली रोड पटना– 2.

... ... उत्तरवादी/ओं

= =

साथ में

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या– 15520/2021

= =

सुषमा कुमारी पत्नी श्री प्रीतम कुमार, निवासी मोहल्ला – मयूर विहार कॉलोनी (श्याम नगर), पी.ओ. – खाजपुर, पी.एस. – राजीव नगर, जिला – पटना।

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना अपने सचिव के माध्यम से,
2. अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
3. सचिव बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
4. संयुक्त सचिव – सह – परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
5. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से
6. अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।

... ... उत्तरवादी/ओं

= =

साथ में

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या– 13884/2022

= =

भावना मिश्रा पुत्री श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, निवासी ग्राम– ढकौली, पोस्ट–सोमैया नगर, पोस्ट–कोतवाली नगर, जिला–बाराबंकी (उत्तर प्रदेश)।

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना अपने सचिव के माध्यम से।
2. अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना
3. सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना
4. संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना
5. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
6. अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
7. अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।

... .उत्तरवादी/उत्तरवादी

= =

साथ में

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या– 13970/2022

= =

1. खुशबू कुमारी पुत्री श्री गोपाल झा, निवासी ग्राम– सांगी, पी.ओ.– सांगी, पी.एस.– फुलपरास, जिला– मधुबनी
2. रितु शुक्ला, पुत्री श्री गिरीश कुमार शुक्ला, निवासी मोहल्ला– पुरानी पोस्टल कॉलोनी नं. 1, महमूद चौक, छपरा, पी.एस.– छपरा सदर, जिला– सारण
3. हिमांशी नाग, पुत्री श्री शिव गोपाल नाग, निवासी 545 केए/एआर–25, अर्जुन विहार, पारा रोड, राजाजीपुरम, पी.एस.– पारा चौकी, जिला– लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना अपने सचिव के माध्यम से
2. अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना
3. सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना
4. संयुक्त सचिव–सह– परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना
5. बिहार राज्य प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से
6. अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना
7. अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।

.... उत्तरवादी/ओं

= =

साथ में

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या– 14202/2022

= =

नैन्सी शुभम पुत्री सुनील धारी प्रसाद सिंह निवासी मकान नं.– 30, सरदार पटेल पथ, उत्तर एस.के. पुरी, डाकघर– पाटलिपुत्र, पुलिस स्टेशन– एस.के. पुरी, जिला– पटना, पिन कोड– 800013।

........याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से
2. प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना
4. अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, (बेली रोड), पटना– 800001
5. संयुक्त सचिव–सह– परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, (बेली रोड), पटना– 800001
6. सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, (बेली रोड), पटना– 800001
7. सुषमा कुमारी, पत्नी श्री प्रीतम कुमार निवासी मोहल्ला– मयूर विहार कॉलोनी (श्याम नगर), पी.ओ.– खाजपुर, पी.एस.– राजीव नगर, जिला– पटना के निवासी
8. सौरव कुमार राय, (यूआर) रोल नंबर 228265 और मेरिट क्रम संख्या 2905।

.... उत्तरवादी/ओं

= =

उपस्थिति :

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 5493/2022 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से	:	श्री राजेंद्र नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री अशोक कुमार चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री भोला कुमार, अधिवक्ता श्री अक्षांश अंकित, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	श्री मनीष कुमार (जी.पी.–4)
बी.पी.एस.सी. की ओर से	:	श्री ललित किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री संजय पांडे, अधिवक्ता
		श्री निशांत कुमार झा, अधिवक्ता

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 15520/2021 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री राजेंद्र नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री अशोक कुमार चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री भोला कुमार, अधिवक्ता
		श्री अक्षांश अंकित, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री शिव शंकर प्रसाद (एस.सी.–8)
बी.पी.एस.सी. के लिए	:	श्री ललित किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री संजय पांडे, अधिवक्ता
		श्री निशांत कुमार झा, अधिवक्ता

(सिविल रिट अधिकार क्षेत्र केस संख्या 13884/2022 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री राजेंद्र नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री अशोक कुमार चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री भोला कुमार, अधिवक्ता
		श्री अक्षांश अंकित, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री शिव शंकर प्रसाद (एस.सी.–8)
बी.पी.एस.सी. के लिए	:	श्री ललित किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री संजय पांडे, अधिवक्ता
		श्री निशांत कुमार झा, अधिवक्ता

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 13970/2022 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री राजेंद्र नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता

		श्री भोला कुमार, अधिवक्ता
		श्री अक्षांश अंकित, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री मोहम्मद नदीम सेराज (जी.पी.–5)
बी.पी.एस.सी. के लिए	:	श्री ललित किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री संजय पांडे, अधिवक्ता
		श्री निशांत कुमार झा, अधिवक्ता

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 14202/2022 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री राजेंद्र नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री स्वामी पार्थ सारथी, अधिवक्ता
		श्री भोला कुमार, अधिवक्ता
		श्री अक्षांश अंकित, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री पी.के. शाही, (ए.जी.)
		मो. नदीम सेराज (जी.पी.–5)
बी.पी.एस.सी. के लिए	:	श्री ललित किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री संजय पांडे, अधिवक्ता
		श्री निशांत कुमार झा, अधिवक्ता

= =

भारत का संविधान ––– अनुच्छेद 15(3), 16(1),(4), 226 ––– क्षैतिज आरक्षण बनाम ऊर्ध्वाधर आरक्षण ––– प्रतिवादी बिहार लोक सेवा आयोग को सहायक अभियंता (सिविल) के पद के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करने और उक्त पद के लिए याचिकाकर्ता के नाम की सिफारिश करने के लिए एक रिट याचिका क्योंकि याचिकाकर्ता को महिला उम्मीदवारों के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण के लाभ से वंचित करके अवैध रूप से अंतिम परिणाम से हटा दिया गया है ––– दलील है कि केवल 192 महिला उम्मीदवारों (कुल 702 में से) को अनारक्षित श्रेणी के तहत चुना गया था, जो कुल चयनित उम्मीदवारों का लगभग केवल 26.64% है, जबकि 35% क्षैतिज आरक्षण निर्धारित है और रिक्तियां अभी भी बची हुई हैं क्योंकि कुल रिक्तियों की तुलना में कम संख्या में उम्मीदवारों का चयन किया गया था।

निष्कर्ष: ऊर्ध्वाधर आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक सामाजिक आरक्षण है। यह विशेष प्रावधान का उच्चतर रूप है और कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं हो सकता। इसके विपरीत, क्षैतिज आरक्षण भारत के संविधान के

अनुच्छेद 15(3) और 16(1) के तहत महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर समुदाय जैसे अन्य वंचित नागरिकों के लिए एक विशेष आरक्षण है। यह विशेष प्रावधान का एक निम्नतर रूप है और ऊर्ध्वाधर आरक्षण में कटौती करता है --- यह लोक सेवा आयोग के लिए आवश्यक है कि वह अनारक्षित और आरक्षित उम्मीदवारों के विभिन्न कोटा से महिलाओं के लिए आरक्षित क्षैतिज आरक्षण का 35% भरे --- यदि योग्यता के आधार पर कुछ महिला उम्मीदवार पहले से ही चयन सूची में भर्ती हो जाती हैं, तो संख्या का प्रतिशत महिला आरक्षण के कुल 35% से घटा दिया जाएगा --- राज्य-प्रतिवादियों ने चयनित सूची के प्रकाशन और उम्मीदवारों की भर्ती से पहले उक्त अभ्यास नहीं किया है --- एक रिट याचिका में जवाबी हलफनामे में दिए गए बयान को जवाबी सबूत के साथ बराबर किया जा सकता है, जिसमें प्रतिवादियों का यह कर्तव्य है कि वे न केवल अभियोजन पक्ष के मामले का खंडन करें बल्कि इस आशय का अपना मामला भी प्रस्तुत करें कि विज्ञापित रिक्तियों की संख्या में बैकलॉग रिक्तियां शामिल थीं --- ऐसे मामले की अनुपस्थिति में, बाद के तर्क पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और इस अदालत द्वारा विचार के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है --- रिट याचिका का निपटारा करते हुए बी.पी.एस.सी. को निर्देश दिया गया कि वह घोषित अनारक्षित कोटे के विरुद्ध घोषित प्रतिशत के अनुसार क्षैतिज रिक्ति की पुनर्गणना करे तथा इस आदेश के संप्रेषण की तिथि से 60 दिनों के भीतर कट ऑफ अंक को फिर से लिखे। **(पैरा 4, 12, 104, 106, 107, 110)**

1992 अनुपूरक 3 एससीसी 217, (2021) 4 एससीसी 686, (2021) 4 एससीसी 542, (2012) एससीसी ऑनलाइन मैड. 5451, एआईआर 1961 कलकत्ता 359 **... ... .पर भरोसा किया गया।**

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

= =

कोरम: माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी

सी. ए. वी. निर्णय

दिनांक: 07.02.2025

1. विधि और तथ्य के समरूप प्रश्नों वाले इन रिट याचिकाओं के समूह की एक साथ सुनवाई की गई है और यह न्यायालय उपर्युक्त रिट याचिकाओं को एक समग्र निर्णय द्वारा निष्पादन हेतु निम्नलिखित निर्णय देने जा रहा है।

2. उपर्युक्त सभी रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 3 मार्च 2017 को जारी विज्ञापन संख्या 2/2017 के आधार पर सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर चयन और नियुक्ति के लिए उपस्थित हुए थे, जिसे बाद में उसी विज्ञापन संख्या दिनांक 6 फरवरी 2019 वाली एक अन्य अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था, जिसके तहत राज्य सरकार के संबंधित विभाग के परामर्श से बीपीएससी द्वारा पदों की संख्या में वृद्धि की गई थी।

3. याचिकाकर्ता के मामलों में कुछ तथ्यात्मक मतभेद हैं, जिन पर मैं प्रासंगिक समय पर चर्चा करने का प्रस्ताव करता हूँ।

4. सभी रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित राहत के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान किया है:

1. उत्तरवादी बिहार लोक सेवा आयोग को विज्ञापन संख्या 02/2017 के अनुसार सहायक अभियंता (सिविल) के पद के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करने और उक्त पद के लिए याचिकाकर्ता के नाम की अनुशंसा करने का निर्देश देने के लिए, क्योंकि याचिकाकर्ता को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा जारी पत्र संख्या 2342 दिनांक 15.02.2016 के तहत महिला उम्मीदवारों के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण के लाभ से वंचित करके अंतिम परिणाम से अवैध रूप से हटा दिया गया है।

2. परिणामी राहत के रूप में कोई अन्य आदेश/आदेश पारित करना, जिसके लिए याचिकाकर्ता को वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कानूनी रूप से हकदार पाया जा सकता है।

5. यह रिकॉर्ड पर है कि उपर्युक्त रिट याचिका में, प्रतियोगी पक्षों ने कई हलफनामे प्रस्तुत किए हैं, जिन पर संक्षेप में कालानुक्रमिक रूप से चर्चा करना लाभदायक होगा।

6. याचिकाकर्ता, सुषमा कुमारी ने 31.08.2021 को अनुच्छेद 226 के तहत रिट आवेदन दायर किया। संक्षेप में तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 02/2017 के अनुसार अनारक्षित श्रेणी के तहत सहायक अभियंता (सिविल) के पद के लिए आवेदन किया था। यह कहा गया है कि बिहार राज्य के विभिन्न विभागों के तहत कुल 1284 रिक्तियां विज्ञापन संख्या 02/2017 के तहत विज्ञापित की गई थीं। याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में रोल नंबर 213988 आवंटित किया गया था और उसने 15.09.2018 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद, आयोग द्वारा 06.02.2019 की अधिसूचना प्रकाशित की गई, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए। इसके अलावा, उक्त अधिसूचना में विज्ञापन संख्या 02/2017 के नियम व शर्तों को दोहराया गया है। उक्त विज्ञापन में एक विशिष्ट शर्त है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा जारी पत्र संख्या 2342 दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण बनाए रखा जाएगा। उक्त पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि महिलाओं के लिए आरक्षित किसी भी रिक्त स्थान के रिक्त होने की स्थिति में पुरुष उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता है। याचिकाकर्ता 27.03.2019 से 31.03.2019 तक मुख्य परीक्षा में उपस्थित हुए और बाद में 24.01.2021 के परिणाम के अनुसार मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किए गए। याचिकाकर्ता को 18.03.2021 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और उन्होंने अन्य उम्मीदवारों के बराबर प्रदर्शन किया। याचिकाकर्ता का नाम दिनांक 14.07.2021 के अंतिम परिणाम से हटा दिया गया था और 1284 रिक्तियों के विरुद्ध केवल 1240 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया था। यह कहा गया है कि अंतिम परिणाम के मात्र अवलोकन से पता चलता है कि अनारक्षित (01) श्रेणी के अंतर्गत केवल 702 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया था, जबकि अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत कुल रिक्तियों की संख्या 733 थी।

7. अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत शारीरिक रूप से विकलांग और स्वतंत्रता सेनानी कोटे के तहत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया गया है। हालाँकि, महिला उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण का ऐसा लाभ नहीं दिया गया है, क्योंकि अनारक्षित श्रेणी के तहत केवल 187 महिला उम्मीदवारों (कुल 702 में से) का चयन किया गया, जो कुल चयनित उम्मीदवारों का लगभग 26.64% है। यह कहा गया है कि उत्तरवादी आयोग द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई पत्र संख्या 2342 दिनांक 15.02.2016 का सरासर उल्लंघन है और कानून की नजर में इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब याचिकाकर्ता जैसी योग्य महिला अभ्यर्थी उपलब्ध थीं, तो उत्तरवादी आयोग महिला अभ्यर्थियों के लिए

उपलब्ध 35% के क्षैतिज आरक्षण का उल्लंघन करके पुरुष अभ्यर्थियों से रिक्तियों को भरने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता था। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि याचिकाकर्ता ने चयन प्रक्रिया में कुल 390 अंक [लिखित परीक्षा में 340 और साक्षात्कार में 50] प्राप्त किए। हालांकि, याचिकाकर्ता को कट–ऑफ अंक 394 [अनारक्षित (महिला)] निर्धारित करके असफल घोषित कर दिया गया। यह कहा गया है कि उत्तरवादी आयोग ने अनारक्षित (महिला) के लिए कट–ऑफ 394 निर्धारित करने में गलती की है, जबकि 35% महिला उम्मीदवार पहले से ही चयन सूची में नहीं थीं, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

8. याचिकाकर्ता द्वारा यह कहा गया है कि अंतिम परिणाम दिनांक 14.07.2021 में एक और त्रुटि यह हुई है कि उत्तरवादी आयोग ने पत्र संख्या 2342 दिनांक 15.02.2016 के तहत क्षैतिज आरक्षण का लाभ गलती से ऐसे उम्मीदवारों को भी दे दिया है जो बिहार राज्य से बाहर के निवासी हैं। यह सामान्य कानून है कि जब कोई रिक्ति/पद केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है तो पूरे देश में आरक्षण की स्थिति एक समान रहती है। हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह तय किया गया है कि जब कोई रिक्ति/पद संबंधित राज्य सरकार के नियंत्रण में होता है, जैसे कि विज्ञापन संख्या 02/2017, तो प्रवास के परिणाम स्वरूप स्थिति का नुकसान होता है। इस प्रकार, पत्र संख्या 2342 दिनांक 15.02.2016 [अनुलग्नक पी 2] के तहत क्षैतिज आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के निवासियों/निवासियों तक ही सीमित है। यह कहा गया है कि उत्तरवादी आयोग ने बिहार राज्य द्वारा दिए गए अन्य क्षैतिज आरक्षणों में समान सिद्धांत का पालन किया है, अर्थात स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्यों के लिए, हालांकि, महिला आरक्षण के मामले में उत्तरवादी आयोग ने कानून की स्थापित स्थिति को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिसे कानून की नजर में बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

9. याचिकाकर्ता द्वारा अंततः कहा गया है कि वह सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन की शर्तों के तहत पात्र है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने 2013 में बीआईटी, सिंदरी (विनोबा भावे विश्वविद्यालय) से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक. की डिग्री प्राप्त की और प्रथम श्रेणी (7.20 सीजीपीए) प्राप्त की। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने विज्ञापन संख्या 02/2017 के अनुसार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में विधिवत योग्यता प्राप्त की। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने मुख्य लिखित परीक्षा में 340 अंक प्राप्त किए, जबकि अनारक्षित (महिला) के लिए कट–ऑफ केवल 275 था। इस प्रकार, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता चयन के लिए योग्य है और इस तरह उत्तरवादी आयोग क्षैतिज आरक्षण के लाभ के तहत महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित पदों पर पुरुष उम्मीदवारों का चयन नहीं कर सकता था।

10. याचिकाकर्ता की ओर से दिनांक 01.09.2021 को पूरक हलफनामा दायर किया गया और प्रस्तुत किया गया कि सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 13107/2021 में पारित दिनांक 16.08.2021 के

आदेश और इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित अनुरूप मामले के अनुपालन में, उत्तरवादी बिहार लोक सेवा आयोग ने दिनांक 14.07.2021 के अंतिम परिणाम को संशोधित किया है और सहायक अभियंता (सिविल) पी का अंतिम परिणाम फिर से प्रकाशित किया है। विज्ञापन संख्या 02/2019 दिनांक 24.08.2021 (अनुलग्नक–पी/11 पृष्ठ 25) के अनुसरण में जिसमें दिनांक 24.08.2021 के संशोधित अंतिम परिणाम से पुनः याचिकाकर्ता का नाम हटा दिया गया तथा 1284 रिक्तियों के विरुद्ध मात्र 1241 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। कहा गया है कि अंतिम परिणाम के अवलोकन से पता चलता है कि अनारक्षित (01) श्रेणी के अंतर्गत मात्र 703 अभ्यर्थी ही सफल घोषित किए गए जबकि अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत कुल रिक्तियों की संख्या 735 थी।

11. बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दिनांक 15.12.21 को प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया। आयोग का कहना है कि उसने दिनांक 24.08.2021 के पत्र संख्या 01 के आलोक में अंतिम परिणाम प्रकाशित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2342 दिनांक 15.02.2016 एवं पत्रांक 11364 दिनांक 04.09.2017 के अनुसार सभी श्रेणियों की महिला अभ्यर्थियों को 35% क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध होने के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए तथा संबंधित विभाग द्वारा तैयार रिक्तियों की संख्या एवं रोस्टर के अनुसार यह कहा एवं प्रस्तुत किया जाता है कि महाधिवक्ता द्वारा इस संबंध में दी गई राय के अनुसार सभी श्रेणियों की महिला अभ्यर्थियों को 35% क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त ज्ञापन संख्या 2342 दिनांक 15.02.2016 उक्त लाभ को केवल बिहार राज्य की महिला अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं करता है। कहा जाता है कि आयोग ने ज्ञापन संख्या 11364 दिनांक 04.09.2017 की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है। 2342 दिनांक 15.02.2016 को जारी किया गया था और अंतिम परिणाम 14.07.2021 को आयोग द्वारा संबंधित विभाग द्वारा तैयार किए गए अधियाचन, आरक्षण नियमों और रोस्टर की शर्तों के अनुसार प्रकाशित किया गया है। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता को सफल घोषित नहीं किया गया क्योंकि उसने अंततः 390 अंक प्राप्त किए, जो उसकी श्रेणी में कट ऑफ अंकों से कम है, अर्थात 394। याचिकाकर्ता एक सामान्य श्रेणी की उम्मीदवार होने के कारण मेरिट क्रम संख्या 2155 पर रखी गई है और चयनित अंतिम उम्मीदवार को मेरिट क्रम संख्या 501 पर रखा गया है और सामान्य श्रेणी में महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत अंतिम चयनित उम्मीदवार मेरिट क्रम संख्या 2092 पर है और याचिकाकर्ता की मेरिट क्रम संख्या संयुक्त मेरिट सूची में 2155 है। उत्तरवादी गण ने आगे कहा और प्रस्तुत किया कि आयोग ने सी डब्ल्यू जे सी संख्या 13107/2021 और एक अन्य समरूप मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर 24.08.2021 को संशोधित अंतिम परिणाम प्रकाशित किया है। इसके बाद आयोग ने पत्र संख्या 30 दिनांक 25.08.2021 के

तहत सफल उम्मीदवारों की संशोधित अनुशंसा संबंधित विभाग को भेजी। इस प्रकार चयन प्रक्रिया समाप्त हो गई है।

12. याचिकाकर्ता उत्तरवादी यानी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 13.01.2022 को दायर जवाबी हलफनामे पर जवाबी हलफनामा दायर करता है। जवाबी हलफनामे में याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि जवाबी हलफनामे में महिला उम्मीदवारों को दिए गए 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या के बारे में पूरी तरह से चुप्पी है। इसमें कहा गया है कि अनारक्षित श्रेणी के तहत केवल 192 महिला उम्मीदवारों (कुल 702 में से) का चयन किया गया था, जो कुल चयनित उम्मीदवारों का लगभग 26.64% है, जबकि 35% क्षैतिज आरक्षण निर्धारित है। यह कहा गया है कि रिक्तियां अभी भी बनी हुई हैं क्योंकि कुल रिक्तियों की तुलना में कम संख्या में उम्मीदवारों का चयन किया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता को अंतिम परिणाम दिनांक 14.07.2021 के तहत सृजित अन्य उम्मीदवारों के अधिकारों में हस्तक्षेप किए बिना ऐसे ही एक रिक्त पद के विरुद्ध चयनित किया जा सकता है।

13. उत्तरवादी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से पूरक जवाबी हलफनामा 07.02.2022 को दायर किया गया था। उत्तरवादी गण, इस मामले में पारित दिनांक 24.01.2022 के आदेश के अनुपालन में, महिला वर्ग सहित विभिन्न श्रेणियों में विज्ञापित रिक्तियों की संख्या तथा विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों का विवरण देते हुए चार्ट प्रस्तुत करते हैं, जो इस प्रकार है:

श्रेणी	रिक्ति की संख्या	चयनित उम्मीदवारों की संख्या	महिलाओं के लिए रिक्तियों की संख्या	चयनित महिला उम्मीदवारों की कुल संख्या	अंतिम चयनित उम्मीदवारों का विवरण
यू.आर.(01)	719	703	192	192	अनुक्रमांक –220116 नाम– पूजा
एससी (02)	147	147	50	31	अनुक्रमांक –212173 नाम– ज्योति कुमारी
एसटी (03)	4	4	2	2	अनुक्रमांक–210416 नाम– सुप्रिया कुमारी
ई.बी.सी. (04)	230	230	58	58	अनुक्रमांक– 228047 नाम– अर्चना कुमारी
बी.सी. (05)	92	92	21	21	अनुक्रमांक – 216744 नाम–तृप्ति जैसवाल
बी.सी.एल. (06)	65	65	65	65	अनुक्रमांक – 212350 नाम–अंकिता कुमारी
कुल	1257	1241	388	369	

14. पूरक प्रति शपथ पत्र में उत्तरवादी ने प्रस्तुत किया है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या 2342 दिनांक 15.02.2016 (प्रति–शपथपत्र के अनुलग्नक–ई) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि पात्र महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में पदों को उसी भर्ती वर्ष में संबंधित श्रेणी (आरक्षित/अनारक्षित) के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरा जा सकता है। उपर्युक्त पत्र के आलोक में अनुसूचित जाति (02) कोटि की रिक्त 19 सीटें जो महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित थीं, अनुसूचित जाति (02) कोटि की उपयुक्त पात्र महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण अनुसूचित जाति (02) कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों से भरी गई हैं।

15. उत्तरवादी अर्थात् राज्य एवं अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ने दिनांक 29.03.2022 को प्रथम बार प्रति शपथ पत्र दाखिल किया। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3836 दिनांक 14.03.2022 के अनुसार संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यथा– निर्माण विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बिहार, पटना विभाग, बिहार, पटना संसाधन विभाग, बिहार, पटना भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना तथा योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध किया गया कि वे अपने विभाग द्वारा किए गए रोस्टर क्लीयरेंस की प्रति उपलब्ध कराएं तथा प्रकाशित सहायक अभियंता (सिविल) की नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 02/2017 के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार को भेजें। सभी सात विभाग प्रश्नगत विज्ञापन के लिए रोस्टर क्लीयरेंस के संबंध में अपनी रिपोर्ट लेकर आए। मैं उत्तरवादी के प्रति शपथपत्र में प्रस्तुत आंकड़ों को दोहराना चाहूंगा।

16. भवन निर्माण विभाग– इस विभाग के लिए 122 रिक्तियां रिपोर्ट की गई थीं, जिनमें 38 पदों की गणना बैकलॉग के रूप में की गई थी। इस प्रकार वर्तमान रिक्तियां केवल 84 थीं, जिनमें 22 पद क्षैतिज आरक्षण के रूप में महिलाओं के लिए उपलब्ध थे। 122 पदों के लिए रोस्टर क्लीयरेंस दो लेन–देन में किया गया था, स्वाभाविक रूप से उक्त मामले में क्षैतिज आरक्षण में कमी है।

17. ग्रामीण कार्य विभाग– इस विभाग के लिए 250 रिक्तियां रिपोर्ट की गई थीं, जिनमें 17 पदों की गणना बैकलॉग के रूप में की गई थी, इस प्रकार वर्तमान में उपलब्ध रिक्तियां केवल 233 थीं। जिसमें 59 पदों के लिए रोस्टर क्लीयरेंस महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण के रूप में दिया गया था। चूंकि 250 पदों के लिए रोस्टर क्लीयरेंस दो लेन–देन में किया गया है, इसलिए इस मामले में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण में मामूली कमी है।

18. पथ निर्माण विभाग– इस विभाग के लिए 236 रिक्तियां रिपोर्ट की गई थीं, जिनमें से 57 पदों की गणना बैकलॉग के रूप में की गई थी, इस प्रकार वर्तमान रिक्तियां केवल 179 थीं। इस रोस्टर क्लीयरेंस में 56 पद महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण के रूप में दिए गए थे। चूंकि 236 पदों के लिए रोस्टर क्लीयरेंस दो बार में किया गया था, इसलिए इस मामले में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण में मामूली कमी भी है।

19. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग– इस विभाग के लिए 64 रिक्तियां रिपोर्ट की गई थीं, जिनमें से 17 पद महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण के रूप में दिए गए थे। चूंकि 64 पदों के लिए रोस्टर क्लीयरेंस तीन बार में किया गया था, इसलिए इस मामले में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण में स्वतः कमी है।

20. योजना एवं विकास विभाग– इस विभाग के लिए 270 रिक्तियां रिपोर्ट की गई थीं, जिनमें से 92 पद महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण के रूप में दिए गए थे। चूंकि 270 पदों के लिए रोस्टर क्लीयरेंस एक ही बार में किया गया है, इसलिए इस मामले में क्षैतिज आरक्षण का कोटा पूरी तरह से भर दिया गया है।

21. जल संसाधन विभाग– इस विभाग के लिए 284 रिक्तियां रिपोर्ट की गई थीं, जिसके विरुद्ध क्षैतिज आरक्षण के रूप में महिलाओं को 73 पद दिए गए। साथ ही पिछड़ा वर्ग (डब्ल्यू.बी.सी.) के लिए महिलाओं को बैक लॉग के रूप में 23 पद दिए गए। इस मामले में क्षैतिज आरक्षण की कमी है, लेकिन यह इस रोस्टर क्लीयरेंस में डब्ल्यू.बी.सी. के लिए बैक लॉग की गणना के कारण है।

22. लघु जल संसाधन विभाग– इस विभाग के लिए पहले 56 रिक्तियां रिपोर्ट की गई थीं, लेकिन बाद में रिक्तियों को संशोधित किया गया और इसे केवल 31 पदों के रूप में रिपोर्ट किया गया। जिसके विरुद्ध 2 पदों को बैक लॉग के रूप में और 5 पदों को महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण के रूप में दिया गया। चूंकि 31 पदों के लिए रोस्टर क्लीयरेंस दो लेन–देन में किया गया है, इसलिए इस मामले में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण में भी मामूली कमी है। लेकिन यह प्रशासन विभाग द्वारा रिक्तियों में किए गए संशोधन के कारण है।

23. उपरोक्त डेटा को सरलीकृत रूप में चार्ट फॉर्म में नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की संख्या	कुल रिक्तियों का 35%	विभाग द्वारा प्रदान किया गया वास्तविक क्षैतिज आरक्षण (महिला)
1	योजना और विकास विभाग	270	94.5–95	92
2	सार्वजनिक स्वास्थ्य	64	22.4–22	17

	इंजीनियरिंग विभाग			
3	लघु जल संसाधन विभाग	31	10.85–11	5
4	सड़क निर्माण विभाग	236	82.6–83	55
5	जल संसाधन विभाग	284	99.4–99	73
6	भवन निर्माण विभाग	122	42.7–43	22
7	ग्रामीण कार्य विभाग	250	87.5	59
	कुल	1257	441	323

24. राज्य ने पत्र संख्या 3862 दिनांक 16.03.2022 का भी उल्लेख किया है, जिसमें अनारक्षित श्रेणी के लिए 719 पदों या रिक्तियों की गणना की जा रही है, जिसके विरुद्ध अनारक्षित श्रेणी की महिला उम्मीदवारों के लिए 192 पद उपलब्ध कराए गए हैं। अंतिम परिणाम के लिए तैयार की गई संयुक्त मेरिट सूची में याचिकाकर्ता यानी सुषमा कुमारी (रोल नंबर 213988) का नाम क्रम संख्या 2155 पर दर्शाया गया है, जबकि इस श्रेणी में अंतिम सफल उम्मीदवार क्रम संख्या 2092 पर है। यह इंगित करना और प्रस्तुत करना भी प्रासंगिक है कि संयुक्त मेरिट सूची 2092 से 2155 के बीच 9 महिला उम्मीदवार हैं, जिन्हें इस श्रेणी में रिक्तियों की कमी के कारण नहीं चुना गया है।

25. याचिकाकर्ता की ओर से दूसरा अनुपूरक हलफनामा 29.03.2022 को दायर किया गया था। यह माननीय न्यायालय द्वारा तत्काल रिट आवेदन में पारित दिनांक 03.03.2022 के आदेश के अनुपालन में दायर किया जा रहा है जिसके तहत याचिकाकर्ता को निम्नलिखित शर्तों में निर्देश जारी किया गया था: "याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को आरक्षण नीति के संदर्भ में भर्ती किए जाने वाले पदों की संख्या के लिए आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार (सात विभागों) और बी.पी.एस.सी. के बीच आंतरिक पत्राचार से पता लगाने का निर्देश दिया जाता है। उन्हें बी.पी.एस.सी. को सात विभागों द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के संदर्भ में एक चार्ट या विवरण के माध्यम से अवगत कराने का निर्देश दिया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर भर्ती की प्रक्रिया में महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के प्रतिशत का कोई उल्लंघन है या नहीं?" निर्देश के अनुसार, बिहार सरकार के संबंधित विभागों और उत्तरवादी बिहार लोक सेवा आयोग के बीच रिक्तियों की संख्या और लागू आरक्षण के संबंध में आंतरिक संचार इस माननीय न्यायालय के निर्देश के अनुसार याचिकाकर्ता को सौंप दिया गया। आंतरिक संचार के अनुसार, बिहार सरकार के सभी संबंधित सात विभाग, एक स्वर में, तत्काल चयन प्रक्रिया में पत्र संख्या

2342 दिनांक 15.02.2016 [रिट आवेदन के अनुलग्नक पी 2] की प्रयोज्यता को स्वीकार करते हैं, जिसके तहत अनारक्षित श्रेणी सहित सभी श्रेणियों में महिला उम्मीदवारों को 35% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। याचिकाकर्ता ने जोरदार ढंग से कहा है कि संबंधित विभागों द्वारा की गई मांग में त्रुटि हो गई है, क्योंकि पत्र संख्या 2342 दिनांक 15.02.2016 [रिट आवेदन के अनुलग्नक पी2] के आलोक में महिला उम्मीदवारों को 35% क्षैतिज आरक्षण उसके वास्तविक अर्थ में नहीं बढ़ाया गया है। कहा गया है कि पत्र संख्या 2342 दिनांक 15.02.2016 का उल्लंघन करते हुए महिला उम्मीदवारों के लिए 118 सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं, क्योंकि संबंधित विभाग द्वारा कुल अधिग्रहीत रिक्तियों का 35% यानी 1257 [जैसा कि आंतरिक संचार में कहा गया है) लगभग 441 रिक्तियां आती हैं, लेकिन आरक्षण केवल 323 उम्मीदवारों को दिया गया है। राज्य द्वारा प्रस्तावित चार्ट को नकारते हुए याचिकाकर्ता ने अपना विस्तृत चार्ट इस प्रकार प्रस्तुत किया:

क्रमांक	विभाग का नाम	रिक्तियों की कुल संख्या	कुल रिक्तियों का 35%	विभाग द्वारा प्रदान किया गया वास्तविक–क्षैतिज आरक्षण (महिला)
1	योजना एवं विकास विभाग	135	47.25–47	
2	लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	32	11.2–11	
3	लघु जल संसाधन विभाग	28	9.8–10	
4	सड़क निर्माण विभाग	104	36.4–36	
5	जल संसाधन विभाग	196	68.9–69	
6	भवन निर्माण विभाग	54	18.9–19	14
7	ग्रामीण कार्य विभाग	170	59.5–59	39
	कुल	719	251	192

26. याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि ऊपर दिए गए चार्ट से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अनारक्षित श्रेणी में भी, जिससे याचिकाकर्ता संबंधित है, क्षैतिज आरक्षण का लाभ 35% महिला उम्मीदवारों को नहीं दिया गया, जैसा कि पत्र संख्या 2342 दिनांक 15.02.2016 (रिट आवेदन के अनुलग्नक पी2) के तहत प्रदान किया गया है। यह कहा गया है कि महिला उम्मीदवारों के लिए 59 सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं, क्योंकि संबंधित विभाग द्वारा कुल अधिग्रहीत रिक्तियों का 35% यानी 719 (जैसा कि आंतरिक संचार में कहा गया है) लगभग 251 रिक्तियां हैं, लेकिन आरक्षण केवल 192 उम्मीदवारों को दिया गया है। याचिकाकर्ता ने दोहराया है कि कुल रिक्तियों की संख्या अभी भी खाली है, क्योंकि कुल रिक्तियों के मुकाबले कम संख्या में उम्मीदवारों का चयन किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता को 14.07.2021 और

24.08.2021 के अंतिम परिणाम के तहत सृजित अन्य उम्मीदवारों के अधिकारों में हस्तक्षेप किए बिना ऐसे एक रिक्त पद के लिए चुना जा सकता है।

27. पूरक जवाबी हलफनामा राज्य की ओर से 13.05.2022 को दायर किया गया था। राज्य ने 100 सूत्री मॉडल रोस्टर को अपनाने पर जोर दिया, जिसमें सभी अनारक्षित एवं आरक्षित वर्ग को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है तथा नीचे चार्ट प्रस्तुत किया गया है:

i)	अनारक्षित	रोस्टर बिन्दु– 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 49, 55, 61, 67, 73, 7 9, 85, 91, 97 = 17 पद
ii)	अनुसूचित जाति	रोस्टर बिन्दु: 10, 24, 40, 62, 78, 98 = 6 पद
iii)	अनुसूचित जनजाति	रोस्टर बिन्दु: 0 पद
iv)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	रोस्टर बिन्दु: 8, 26, 42, 60, 70, 94, 100 = 7 पद
v)	पिछड़ा वर्ग	रोस्टर बिन्दु: 12, 38, 64, 90 = 4 पद
कुल		34 पद

28. महिलाओं के 35% क्षैतिज आरक्षण से संबंधित मामले में राज्य का तर्क है कि इसे केवल उस स्थिति में संतृप्त किया जा सकता है, जब रोस्टर क्लीयरेंस रोस्टर बिंदु 1 से रोस्टर बिंदु 100 के अंतर्गत आता है। रोस्टर क्लीयरेंस रोस्टर बिंदु 1 से रोस्टर बिंदु 100 के अंतर्गत नहीं आने की स्थिति में, यह 35% से कम, 35% से अधिक, 0% और 100% हो सकता है।

29. अन्य याचिकाकर्ताओं का मामला तथ्यात्मक रूप से सुषमा कुमारी के मामले के समान है। उन्होंने भी इसी तरह की राहत के लिए रिट याचिका दायर की है। उपर्युक्त मामलों में एकमात्र अंतर यह है कि सुषमा कुमारी को 390 अंक मिले, सी डब्ल्यू जे सी संख्या 5493/2022 की याचिकाकर्ता स्नेही कुमारी को 392 अंक मिले, सी डब्ल्यू जे सी संख्या 13884/2022 की याचिकाकर्ता भावना मिश्रा को भी 392 अंक मिले, सी डब्ल्यू जे सी संख्या 13970/2022 की याचिकाकर्ता खुशबू कुमारी को 390 अंक मिले और सी डब्ल्यू जे सी संख्या 14202/2022 की याचिकाकर्ता नैन्सी शुभम को 375 अंक मिले।

30. श्री राजेंद्र नारायण, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सी डब्ल्यू जे सी संख्या 5493 ऑफ 2022, सी डब्ल्यू जे सी संख्या 15520 ऑफ 2021, सी डब्ल्यू जे सी संख्या 13884 ऑफ 2022, सी डब्ल्यू जे सी संख्या 13970 ऑफ 2022 और सी डब्ल्यू जे सी संख्या 14202 ऑफ 2022 में

याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित हुए। उपर्युक्त रिट याचिकाओं में, सबसे पहले मैं विज्ञापन संख्या 02/2017 की सामग्री की ओर अपना ध्यान आकर्षित करता हूं। उक्त विज्ञापन में इंजीनियरिंग सेवा के विभिन्न विभागों में भरी जाने वाली रिक्तियों की समेकित संख्या बताई गई है, जिसे शुरू में 963 घोषित किया गया था।

31. उक्त विज्ञापन में कहा गया है कि 35% क्षैतिज आरक्षण महिला उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगा। उक्त विज्ञापन में अन्य क्षैतिज आरक्षण भी बताए गए हैं। हालांकि, ये हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। खंड–6(का)(i) में आगे कहा गया है कि जो अभ्यर्थी आरक्षण का दावा करना चाहते हैं, उन्हें अपने आवेदन में उक्त तथ्य बताना होगा। आरक्षण नीति उन अभ्यर्थियों के लिए लागू होगी, जो बिहार राज्य में स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। उक्त नीति बिहार राज्य के बाहर रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी लागू नहीं है।

32. इसके बाद, उसी विज्ञापन संख्या के तहत एक और अधिसूचना जारी की गई, जिससे कुल अभ्यर्थियों की संख्या बढ़कर 1284 हो गई।

33. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार इस बात को लेकर असमंजस में थी कि रोस्टर बिंदु के संबंध में 35% क्षैतिज रिक्ति को कैसे भरा जाए। इस मुद्दे को बिहार राज्य के विद्वान महाधिवक्ता के समक्ष भेजा गया था। विद्वान महाधिवक्ता ने ***राजेश कुमार दरिया बनाम राजस्थान लोक आयोग एवं अन्य, (2007) 8 एस सी सी 785 और अनिल कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1995) 5 एस सी सी 173 पृष्ठ–185,*** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, एवं अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित राय व्यक्त की:–

> "हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने ***राजेश कुमार दरिया बनाम राजस्थान लोक आयोग एवं अन्य के मामले में, (2007) 8 एस सी सी 785*** में रिपोर्ट की, पैरा–7 में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया, विशेष आरक्षण को लागू करने की विधि, जो कि क्षैतिज आरक्षण है, जैसा कि ***अनिल कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1995) 5 एस सी सी 173 पृष्ठ–185*** के मामले में रिपोर्ट किया गया। उचित और सही तरीका यह है कि पहले मेरिट के आधार पर ओपन कॉम्पिटिशन (ओ.सी.) (50%) को भरा जाए, फिर प्रत्येक सामाजिक आरक्षण कोटा यानी एस.सी., एस.टी. और बी.सी. को भरा जाए। तीसरा कदम यह पता लगाना होगा कि विशेष आरक्षण के लिए कितने उम्मीदवारों को उपरोक्त

आधार पर चुना गया है। यदि क्षैतिज आरक्षण के लिए निर्धारित कोटा पहले से ही संतुष्ट है – यदि यह एक समग्र क्षैतिज आरक्षण है – तो कोई और सवाल नहीं उठता। लेकिन अगर यह संतुष्ट नहीं है, तो विशेष आरक्षण उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या को लेना होगा और संबंधित सामाजिक आरक्षण श्रेणियों के खिलाफ समायोजित/समायोजित करना होगा, जिसमें से उम्मीदवारों की संगत संख्या को हटाना होगा। (हालांकि, यदि यह विभाजित क्षैतिज आरक्षण का मामला है, तो सत्यापन और समायोजन/समायोजन की प्रक्रिया, जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रत्येक ऊर्ध्वाधर आरक्षण के लिए अलग से लागू की जानी चाहिए। **ऐसे मामले में, विशेष श्रेणियों के पक्ष में 15% का आरक्षण, कुल मिलाकर संतुष्ट हो सकता है या संतुष्ट नहीं हो सकता है।"**

34. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि ऊपर रेखांकित भाग पर विद्वान महाधिवक्ता ने अपने तर्क में जोर दिया है, जिसे मैंने प्रस्तावित किया था। प्रासंगिक समय पर चर्चा करें।

35. उक्त अधिसूचना संख्या 2342 दिनांक 15.02.2016 को दृष्टांत द्वारा निम्नानुसार समझाया गया है:–

"यदि 100 रिक्त पदों का चयन किया जाना है–

(क) सबसे पहले, ऐसे रिक्त पदों में से 50% योग्यता के आधार पर भरे जाएंगे। उक्त योग्यता सूची में अनारक्षित अभ्यर्थी, आरक्षित अभ्यर्थी, महिला, पुरुष सभी को समायोजित किया जाएगा।

(ख) अगले चरण में 50% आरक्षित अभ्यर्थियों का चयन कर उन्हें भरा जाएगा। उक्त 50% आरक्षित अभ्यर्थियों में से 47% अभ्यर्थी पुरुष या महिला अभ्यर्थी होंगे तथा 3% आरक्षित महिला अभ्यर्थी होंगी।

(ग) चयन प्रक्रिया के तीसरे चरण में इस आधार पर गणना की जाएगी कि 100 पदों की चयनित सूची में 35% क्षैतिज आरक्षण के बिना विभिन्न आरक्षित/गैर–आरक्षित श्रेणियों में कितनी महिलाएं चयनित हुई हैं। यदि उनका 35% क्षैतिज आरक्षण कोटा पूर्ण हो जाता है तो नियुक्ति हेतु यह चयन सूची अंतिम मानी जाएगी। यदि इस आधार पर महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं होता

है तो उस विशेष श्रेणी (आरक्षण/अनारक्षित) में जिसमें महिलाओं की कमी है, उस श्रेणी में 35% की सीमा तक पूर्ण करने के लिए, योग्यता क्रम में सबसे निचले स्थान वाले पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या हटा दी जाएगी, ताकि महिलाओं के लिए 35% की आरक्षण सीमा पूर्ण हो जाए। यदि सबसे निचले स्थान पर महिला अभ्यर्थी हैं तो उन्हें हटाने के स्थान पर, योग्यता क्रम में उनसे ऊपर वाले पुरुष अभ्यर्थी को हटा दिया जाएगा।

36. उपरोक्त दृष्टांत के आधार पर राज्य–उत्तरवादी गण ने अपने पूरक प्रति शपथ पत्र दिनांक 13.05.2022 में क्षैतिज आरक्षण हेतु लागू होने वाले 100 पदों के सापेक्ष 34 पदों के संबंध में रोस्टर बिन्दुओं का उल्लेख किया है।

37. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने रिट याचिका के पृष्ठ–43 का हवाला देते हुए कहा कि इंजीनियरिंग सेवा के विभिन्न विभागों में परीक्षा के बाद 733 अभ्यर्थियों का चयन किया गया और उक्त 733 अभ्यर्थियों में से 35% आरक्षण के तहत 196 महिला अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिसका अर्थ है कि राज्य ने केवल 26.74% रिक्तियों को ही भरा।

38. इसी प्रकार अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटे के संबंध में 240 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिनमें से 62 अभ्यर्थी महिलाएं थीं, जिसका अर्थ है कि क्षैतिज आरक्षण का 25.83% भरा गया।

39. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने समय रहते प्रस्तुत किया कि 1282 अभ्यर्थियों में से 331 महिला अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जबकि यदि 35% क्षैतिज आरक्षण का ध्यान रखा गया होता तो 448 महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जाना चाहिए था।

40. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने मुझे बीपीएससी द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के अनुलग्नक–सी का हवाला देते हुए दिनांक 20.02.2021 के शुद्धिपत्र का हवाला दिया, जिसमें इंजीनियरिंग सेवा के कुल पदों की संख्या 1257 बताई गई थी और उक्त 1257 उम्मीदवारों में से 35% कोटे के तहत 323 महिला उम्मीदवारों का चयन किया गया, जबकि 1257 का 35% 440 होगा, इसलिए कमी जस की तस बनी हुई है।

41. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ अंक लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 14.07.2021 के नोटिस द्वारा 394 अंक निर्धारित किया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया है कि यदि क्षैतिज आरक्षण का

संपूर्ण 35% अनारक्षित उम्मीदवारों के आरक्षित कोटे में समायोजित किया गया होता, तो कट ऑफ अंक कम हो जाता और याचिकाकर्ताओं का चयन सेवा में हो सकता था।

42. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरीय अधिवक्ता ने बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दिनांक 15.02.2021 को दायर जवाबी हलफनामे का हवाला दिया है। उक्त जवाबी हलफनामे के कंडिका संख्या 13 में आयोग द्वारा दावा किया गया है कि उसने सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या 2432 दिनांक 15.02.2016 और पत्र संख्या 11364 दिनांक 04.09.2017 के आलोक में सभी श्रेणियों की महिला उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध 35% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए और संबंधित विभाग द्वारा तैयार की गई रिक्तियों की संख्या और रोस्टर के अनुसार अंतिम परिणाम प्रकाशित किया था। बी.पी.एस.सी. की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि परिणाम के प्रकाशन से पूर्व राज्य के महाधिवक्ता की विधिक राय प्राप्त की गई थी तथा उक्त विधिक राय के आधार पर परिणाम प्रकाशित किया गया। दिनांक 24.08.2021 को सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 13107/2021 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में। ऐसी परिस्थितियों के मद्देनजर बी.पी.एस.सी. की ओर से यह तर्क दिया गया है कि चयन प्रक्रिया समाप्त हो जाने के कारण रिट याचिकाओं का यह समूह पोषणीय नहीं है।

43. ऐसी आपत्ति के उत्तर में याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर प्रतिउत्तर हलफनामे के पैरा संख्या 7 का संदर्भ दिया है। 31.01.2022 को याचिकाकर्ताओं की ओर से सीडब्लूजेसी संख्या 15520/2022 में तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता 394 के कटऑफ अंक को पार करने में विफल रहे और उन्हें महिला उम्मीदवारों के लिए 35% के क्षैतिज आरक्षण में चयनित नहीं किया गया। हालांकि, राज्य सरकार और बीपीएससी दोनों ही महिला उम्मीदवारों को दिए गए 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या के बारे में पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। कहा गया है कि कुल 703 में से केवल 192 महिला उम्मीदवारों को अनारक्षित कोटे के तहत चुना गया, जो कुल चयनित सूची का लगभग 26.64% है, जबकि 35% क्षैतिज आरक्षण निर्धारित है।

44. इस संबंध में, रिट–याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तत्काल रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश संख्या 7 दिनांक 22.02.2022, आदेश संख्या 8 दिनांक 03.03.2022, आदेश संख्या 9 दिनांक 09.05.2022 और आदेश संख्या 10 दिनांक 17.05.2022 का हवाला दिया है। मैंने उक्त आदेश का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है, दिनांक 22.02.2022 के आदेश संख्या 7 में माननीय न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई है:–

"यदि अंकगणितीय गणना के अनुसार 703 चयनित अभ्यर्थियों में से 35% अभ्यर्थियों की संख्या 246 होगी, इसके अलावा यह भ्रमित करने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि रिक्तियों की संख्या 1284 अधिसूचित की गई थी। दूसरे शब्दों में, विज्ञापन संख्या 2/2017 के अनुसार सहायक अभियंता (सिविल) के पदों को भरने के संबंध में कोई सही आंकड़ा नहीं है, क्योंकि कई बार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया गया है।"

45. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, सुनवाई की अगली तिथि 03.03.2022 तय की गई। दिनांक 03.03.2022 को इस न्यायालय ने आदेश संख्या 8 पारित कर प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया कि सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर वर्तमान भर्ती के प्रयोजनार्थ प्रत्येक विभाग ने महिला आरक्षण का प्रतिशत कैसे निर्धारित किया है, चूंकि अधिसूचित रिक्तियों की संख्या का 35% आरक्षण के प्रतिशत से मेल नहीं खा रहा है। आरक्षण नीति की तिथि से वर्तमान भर्ती तक सामान्य महिलाओं के लिए 35% की सीमा तक महिला आरक्षण के लिए कितनी रिक्तियां भरी गई हैं, आवश्यक भौतिक जानकारी के साथ अवगत कराया जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पूर्व की भर्ती में महिलाओं को कोई अतिरिक्त आरक्षण प्रदान किया गया था ताकि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में महिला आरक्षण का प्रतिशत कम हो सके या नहीं? उपरोक्त सामग्री को बयान के रूप में पांचवें उत्तरवादी द्वारा पूरक हलफनामे के माध्यम से रिकॉर्ड पर रखा जाएगा।

46. राज्य सरकार के विभागों (सात) और बी.पी.एस.सी. के बीच सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर भर्ती की प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से आंतरिक जानकारी प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया, जिसे आज न्यायालय को उपलब्ध करा दिया गया है। याचिकाकर्ता को आरक्षण नीति के संदर्भ में भर्ती किए जाने वाले पदों की संख्या के लिए आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार (सात विभाग) और बी.पी.एस.सी. के बीच आंतरिक पत्राचार से पता लगाने का भी निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ता को बी.पी.एस.सी. को सात विभागों द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के संदर्भ में चार्ट या विवरण के माध्यम से अवगत कराने का भी निर्देश दिया गया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर भर्ती की प्रक्रिया में महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के प्रतिशत का कोई उल्लंघन है या नहीं? दिनांक 09.05.2022 को अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार को न्यायालय में उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया गया कि उन्होंने महिला आरक्षण की गणना 35% कैसे की है। दिनांक 17.05.2022 के आदेश संख्या 10 द्वारा समन्वय पीठ द्वारा यह देखा गया है कि अतिरिक्त पूरक प्रति शपथ पत्र के आधार पर राज्य सरकार ने अनुलग्नक–जी में स्वीकार किया है कि सहायक

अभियंता पद को भरने के लिए सरकारी आयोग को सामग्री जानकारी अग्रेषित करते समय संबंधित विभाग द्वारा 35% महिला आरक्षण का पालन न करने के संबंध में कुछ त्रुटि हुई थी। राज्य की ओर से इस तरह की स्वीकृति के आलोक में, राज्य–सामान्य प्रशासन विभाग को महिला आरक्षण के लिए निर्धारित रिक्तियों के वर्गीकरण को सुधारने का निर्देश दिया गया और इस संबंध में लोक सेवा आयोग को विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता के पद को भरने के मूल प्रस्ताव में आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया गया।

47. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे के पृष्ठ 174 पर पैराग्राफ संख्या 10 का हवाला दिया है और प्रस्तुत किया है कि 35% कोटे से कुल 75 पद रिक्त हैं, साथ ही उपरोक्त जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ संख्या 10 में दिए गए कथन को भी प्रस्तुत किया है।

48. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने मेरा ध्यान सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे के पृष्ठ 376 पर संलग्न अनुलग्नक–जी की ओर आकर्षित किया है। उत्तरवादी द्वारा दायर आवेदन संख्या 5. अनुलग्नक–जी से पता चलता है कि योजना एवं विकास विभाग में सहायक अभियंता (लीविंग बिहाइंड) पी.एच.सी. अभ्यर्थियों की संख्या 270 थी तथा महिलाओं के लिए क्षैतिज रिक्तियों का 35%/34% की गणना 92 निर्धारित की गई थी। हालांकि, ऐसी रिक्तियों का 35% 94/95 होना चाहिए था, इसलिए योजना एवं विकास विभाग में दो रिक्तियां भरी जानी हैं। लघु जल संसाधन विभाग में अनारक्षित श्रेणी में कुल रिक्तियों की संख्या 31 दर्शाई गई थी तथा क्षैतिज रिक्तियों की संख्या 11 दर्शाई गई थी; उक्त 11 अभ्यर्थियों में से 05 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई। जल संसाधन विभाग में 270 अभ्यर्थियों में से क्षैतिज रिक्तियों का प्रतिशत 92 दर्शाया गया तथा उनमें से 73 रिक्तियां भरी गईं। भवन निर्माण विभाग में 84 अनारक्षित अभ्यर्थी थे, जिनमें से 29 महिला अभ्यर्थियों को 35% कोटे में भर्ती किया गया तथा रिक्तियां 22 हैं। ग्रामीण निर्माण विभाग में 233 में से 79 पदों पर 35% महिला आरक्षण कोटे में भर्ती की गई, जिससे 59 पद शेष रह गए। सड़क निर्माण विभाग में 179 अनारक्षित पदों में से 80 पद 35% कोटे में भरे गए, लेकिन 56 पद सृजित किए गए। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 64 अनारक्षित कोटे में से 22 पद 35% आरक्षण में भरे गए तथा 17 पद भरे गए तथा महिलाओं के लिए 35% आरक्षित कोटे में कम नियुक्ति के कारणों का स्पष्टीकरण अनुलग्नक–जी में दिया गया। मैंने बाद में कारणों पर विचार करने का प्रस्ताव रखा।

49. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार ने इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17.05.2022 के आदेश के विरुद्ध एल.पी.ए. दायर की है। एल.पी.ए. संख्या 309/2022 वाली उक्त एल.पी.ए. का 17.04.2023 को निपटारा किया गया, जिसमें

खंडपीठ ने पाया कि दिनांक 17.05.2022 के अंतरिम आदेश ने वरिष्ठता सूची में संशोधन का निर्देश देने वाली रिट याचिका का प्रभावी ढंग से निपटारा कर दिया है। 35% की दर से क्षैतिज आरक्षण को संतुष्ट करने के उद्देश्य से अधिसूचना में उपलब्ध संचयी पदों पर आरक्षण लागू न किए जाने और आरक्षित एवं अनारक्षित दोनों श्रेणियों के संबंध में रोस्टर बिंदुओं की पहचान किए जाने के तर्क पर विचार नहीं किया गया। विद्वान महाधिवक्ता ने आगे दलील दी है कि अनुसूचित पिछड़ा वर्ग जनजाति महिलाओं के लिए 3% पद आरक्षित हैं और इन परिस्थितियों में 35% आरक्षण लागू करने से केवल 97 रिक्तियों पर ही यह प्रतिशत लागू हो सकता है जो अनिवार्य रूप से कुल रिक्तियों का 34% होगा।

50. मामले के इस पहलू पर विचार करते हुए, खंडपीठ ने पक्षकारों को इस न्यायालय के समक्ष प्रत्येक बिंदु पर गुण–दोष के आधार पर बहस करने की स्वतंत्रता देते हुए विवादित आदेश को रद्द कर दिया।

51. विद्वान एकल न्यायाधीश को राज्य की ओर से प्रस्तुत तर्क की वैधता पर विचार करने की भी स्वतंत्रता दी गई।

52. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र नारायण ने मेरा ध्यान याचिकाकर्ताओं की ओर से तीसरे पूरक हलफनामे के साथ संलग्न अनुलग्नक–एसए/2 की ओर आकर्षित किया। अनुलग्नक–एसए/2 बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 14762 है। उक्त अधिसूचना का पैराग्राफ संख्या 2 महत्वपूर्ण है तथा अंग्रेजी में नीचे पुन: प्रस्तुत है:–

> "2. इस संबंध में रिट याचिका संख्या 15520/2021 (सुषमा कुमारी बनाम बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य) में आयोग द्वारा दायर शपथपत्र के साथ संलग्न याचिकाकर्ता (सुश्री सुषमा कुमारी) के अंकपत्र के अवलोकन से यह उल्लेखनीय है कि वह अनारक्षित कोटि की अभ्यर्थी है। यह भी विचार किया गया कि संबंधित परीक्षा का परिणाम प्रकाशित करते समय कुल 17 योग्य दिव्यांग अभ्यर्थियों के अनुपलब्ध होने की स्थिति में अनारक्षित अभ्यर्थियों के कुल 17 पदों को अग्रेषित कर आरक्षित रखा गया है, अर्थात कुल 17 ऐसे पद हैं, जिनकी अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को पूर्व में ही भेजी जा चुकी है, परंतु इसके विरुद्ध वर्तमान में कोई अनुशंसा नहीं की गई है।"

53. उक्त अधिसूचना के अनुवर्ती खण्डों में कहा गया है:–

"3. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22.01.2021 की खण्ड–9 में यह प्रावधान है कि – **"जहां किसी भर्ती वर्ष में उपर्युक्त दिव्यांग व्यक्तियों की अनुपलब्धता अथवा किसी अन्य पर्याप्त कारण से रिक्ति को नहीं भरा जा सकता है, ऐसी रिक्ति को अनारक्षित श्रेणी में अंकित करते हुए आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित किया जाएगा.....**

4. अतः उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 17.05.2022 को सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 15520/2021 (सुषमा कुमारी बनाम बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य) तथा दिनांक 18.08.2022 को एम.जे.सी. संख्या 1247/2022 (सुषमा कुमारी बनाम बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य) में पारित आदेश के आलोक में लोक सेवा आयोग और अन्य) और अंतिम आदेश पारित होने के अधीन एल.पी.ए. संख्या 309/2022 (बिहार राज्य एवं अन्य बनाम सुषमा कुमारी) में दर्ज, सी.डब्लू.जे.सी. में पारित आदेश के विरुद्ध राज्य द्वारा दायर किया गया। संख्या 15520, 2021 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग ने अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत महिलाओं के लिए 35% के क्षैतिज आरक्षण के विरुद्ध विकलांग व्यक्तियों के लिए पूर्व में अधियाचित 17 अनारक्षित रिक्त पदों में से एक रिक्त पद के विरुद्ध याचिकाकर्ता सुश्री सुषमा कुमारी को चयन करने की अनुमति दी है, फिलहाल केवल एक (01) पद के लिए संशोधित अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जा रही है।"

54. इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरीय अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि क्षैतिज रिक्ति के मामले में, पहले अनारक्षित मेधावी उम्मीदवारों को उनके 50% कोटे में भरा जाना है। इसके बाद, एक विशेष कोटा (यहां यह अनारक्षित है) के भीतर क्षैतिज रिक्ति के परिणामस्वरूप, सफल महिला उम्मीदवार 35% के विशेष कोटा के पूरा होने तक सूची के नीचे से पद पर आसीन होंगी। 34%. राज्य के अधीन सेवाओं में महिलाओं के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(3) और अनुच्छेद 16(4) को लागू करने के लिए राज्य द्वारा समान अनारक्षित श्रेणी में महिला अनारक्षित उम्मीदवारों का कोटा निर्धारित किया गया था।

55. अपने तर्क के समर्थन में, वह सबसे पहले ***अनिल कुमार गुप्ता और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हैं, ***(1995) 5 एस सी सी 173*** में रिपोर्ट किया गया, याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान महाधिवक्ता ने अनिल कुमार गुप्ता (सुप्रा) में उपरोक्त रिपोर्ट के पैराग्राफ संख्या 17 और 18 के आधार

पर अपनी राय प्रस्तुत की। हालाँकि, राज्य सरकार ने उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 20 का ध्यान नहीं रखा है।

56. उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 19 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***इंद्रा साहनी केस, 1992 अनुपूरक 3 एस सी सी 217*** की टिप्पणी को दोहराया।

57. इंद्रा साहनी मामले में यह टिप्पणी की गई थी:–

> "(बी) लेकिन साथ ही, एक बात स्पष्ट है। यह बहुत ही असाधारण स्थिति में है – और सभी कारणों से नहीं – कि खंड (1) के तहत कोई और आरक्षण और किसी भी प्रकार का प्रावधान किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, यदि आवश्यक हो तो राज्य को यह संतुष्ट करना होगा कि ऐसा प्रावधान करना (सार्वजनिक हित में) विशिष्ट स्थिति के निवारण के लिए आवश्यक था। खंड (4) की उपस्थिति ही विशेष उपचार के योग्य अन्य वर्गों को बनाने की प्रवृत्ति पर रोक लगा देगी। ऐसा कहने का कारण बहुत सरल है। यदि खंड (4) के साथ–साथ खंड (1) के तहत भी आरक्षण किया जाता है, तो मुक्त प्रतिस्पर्धा के साथ–साथ आरक्षित श्रेणियों के लिए उपलब्ध रिक्तियां कम हो जाएंगी। तदनुसार कम किया जाना चाहिए और ऐसा करना उचित नहीं है।"

58. उक्त अवलोकन को बरी करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनिल कुमार गुप्ता के मामले में यह निर्णय दिया है:–

> "यद्यपि, उक्त अवलोकन अनुच्छेद 16 के खंड (1) और (4) के संदर्भ में किया गया था, यह अनुच्छेद 15 के खंड (1) और (4) पर भी समान रूप से लागू होता है, इस मामले में विशेष श्रेणियों के लिए 15% सीटों का आरक्षण बहुत अधिक था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, उनमें से दो श्रेणियां जो 15% में से 6% का प्रतिनिधित्व करती हैं, वास्तव में अनुच्छेद 15(4) के तहत आरक्षण हैं जिन्हें गलत तरीके से अनुच्छेद 15(1) के तहत आरक्षण माना जाता है। अन्यथा भी विशेष आरक्षण 9% होगा। प्रतिवादियों को इस न्यायालय द्वारा दी गई चेतावनी को ध्यान में रखने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाएगी कि विशेष आरक्षण (क्षैतिज आरक्षण) न्यूनतम रखा जाए।"

59. तत्पश्चात, पैरा संख्या 20 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय का कारण बताते हुए प्रसन्नता व्यक्त की:–

"20. आरक्षण के नियम और उसके क्रियान्वयन में त्रुटियों को इंगित करने के पश्चात, प्रश्न यह उठता है कि अब क्या किया जाना चाहिए? क्या हमें पहले से ही अंतिम रूप से तय प्रवेशों में हस्तक्षेप करना चाहिए? हम ऐसा करना अनुचित समझते हैं। यह स्मरणीय है कि अब (जून–जुलाई, 1995 में) अंतिम रूप से तय प्रवेश वास्तव में वे प्रवेश हैं, जिन्हें एक वर्ष पहले ही अंतिम रूप दे दिया जाना चाहिए था। देरी पहली त्रुटिपूर्ण अधिसूचना (17.05.1994 को जारी) के कारण हुई है। जब इस न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई – संभवतः उच्च न्यायालय में भी कुछ रिट याचिकाएँ दायर की गई – तो सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने 17.12.1994 को संशोधित अधिसूचना जारी की। इसने महिलाओं के पक्ष में आरक्षण को चरणों में समाप्त कर दिया। विश्वविद्यालय को तब एक शुद्धिपत्र जारी करना पड़ा जिसमें विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों से उनकी सामाजिक स्थिति बताने के लिए कहा गया। यह एक विलंबित प्रक्रिया थी जिसे शुरू में ही शुरू कर दिया जाना चाहिए था। यहां तक कि जिस तरह से सीटें भरी गई हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है, वह भी दोषपूर्ण है। हमने यहां जो कुछ भी निर्धारित किया है वह उत्तरदाताओं के लिए भविष्य के मार्गदर्शन के उद्देश्य से अधिक है। साथ ही, हमें संबंधित प्रवेश में खुली प्रतियोगिता के उम्मीदवारों के साथ हुए अन्याय को सुधारना है, तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि सीपीएमटी 1994 के तहत किए गए प्रवेश के मामले में, जबकि प्रवेश पहले ही अंतिम रूप ले चुके हैं, उसमें कोई व्यवधान नहीं डाला जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार एमबीबीएस पाठ्यक्रम में 34 अतिरिक्त सीटें बनाएगी और उन सीटों के विरुद्ध ओसी श्रेणी के 34 छात्रों को प्रवेश देगी। यदि आज की स्थिति में कोई सीटें रिक्त हैं, तो उन्हें भी केवल ओसी श्रेणी से ही भरा जाएगा। (यह स्पष्ट किया जाता है कि ओसी श्रेणी का अर्थ योग्यता सूची है, न कि ओसी सूची में उम्मीदवारों के बीच उनकी सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किया जाएगा क्योंकि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एसटी/एससी/ओबीसी उम्मीदवार भी अपनी योग्यता के आधार पर ओसी श्रेणी में सीट प्राप्त करने के हकदार हैं)। याचिकाकर्ताओं के वकील ने शिकायत की कि ओसी श्रेणी से संबंधित 54 छात्र उत्तरदाताओं की दोषपूर्ण कार्रवाइयों के कारण श्रेणी के सभी 100% से अधिक उम्मीदवारों को प्रवेश से वंचित किया गया है और इसे पूरा करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। हम इस बात से सहमत नहीं हो सकते। इस प्रस्तुति का तथ्यात्मक आधार पहले उल्लिखित अस्पष्टता के मद्देनजर बहस योग्य है। हमने मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 34 सीटों (इस वर्ष कुल 780 सीटें) के सृजन का निर्देश दिया है,

अतिरिक्त सीटों का यह सृजन केवल वर्तमान प्रवेशों तक ही सीमित है और भविष्य के लिए स्थायी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार/संबंधित प्राधिकारी उक्त 34 अतिरिक्त सीटों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उचित रूप से आवंटित करेंगे और जल्द से जल्द उनमें प्रवेश देंगे।"

60. इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजेंद्र नारायण द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यदि न्यायालय को लगता है कि याचिकाकर्ता महिलाओं के लिए आरक्षित कोटे के 35% में नियुक्त होने के हकदार हैं और गलत गणना के कारण उन्हें अपनी सेवा पाने से वंचित किया गया है, तो न्यायालय राज्य सरकार को इन 09 याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादियों द्वारा की गई गलती को सुधारने के लिए इंजीनियरिंग सेवा में समाहित करने का निर्देश दे सकता है।

61. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि ***तमिलनाडु राज्य और अन्य बनाम के. शोभना, (2021) 4 एस सी सी 686*** में रिपोर्ट किए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय पर भरोसा करते हुए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से वह विधि निर्धारित की है जिसमें चयनित उम्मीदवारों की विभिन्न श्रेणियों की नियुक्ति की जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैरा क्रमांक 16 में कहा गया है:–

"16. इस प्रकार, पहले मेधावी उम्मीदवार सामान्य मेरिट सूची में अपना स्थान लेंगे, जहाँ कोई आरक्षण लागू नहीं होगा। उसके बाद आरक्षण लागू होगा, जिसके तहत पहले बैकलॉग रिक्तियों को भरा जाएगा, उसके बाद चालू वर्ष की रिक्तियों को भरा जाएगा। संक्षेप में, उनका तर्क यह था कि अधिनियम की धारा 27 का मेरिट के आधार पर चयन से कोई लेना–देना नहीं है, और यह केवल उस चरण के बाद आरक्षण के तरीके पर लागू होता है। आरक्षित रिक्तियों के लिए प्रावधान के अनुसार "अलग–अलग समूहों" के लिए दो सूचियाँ बनाई जानी आवश्यक हैं, जो होंगी– पहली, बैकलॉग सूची और फिर दूसरी, वर्तमान सूची। मेधावी चयनित उम्मीदवारों का सूची के इस भाग से कोई लेना–देना नहीं है। हमारा ध्यान 20–11–2019 की अनंतिम चयन सूची की ओर भी आकर्षित किया गया था ताकि यह बताया जा सके कि मेरिट सूची कैसे तैयार की गई थी। इस प्रकार, दलील यह थी कि यह सुसंगत और सही अभ्यास है, और तथ्य यह है कि यह समस्या केवल रसायन विज्ञान के मामले में उत्पन्न हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही व्यावहारिक रूप से अब सभी बैकलॉग रिक्तियां भरी जाएंगी।"

62. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनारक्षित और आरक्षित कोटे के पदों को भरने के कार्यान्वयन में उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख किया है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने ***सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2021) 4 एस सी सी 542*** में रिपोर्ट किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या 22 में कहा:–

> "22. सबसे पहले हम विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय (के. शोभना एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य) की ओर रुख करना चाहेंगे, जो हमारे विचार में विवाद और निष्कर्ष के लिए बिल्कुल स्पष्ट और स्पष्ट है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने पहले पैराग्राफ में ही विवाद को सामने रखा यानी क्या उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को सामान्य टर्न में फिट किया जाना चाहिए था, लेकिन पिछले साल उन्हें एमबीसी/डीएनसी कोटा में फिट किया गया है, जिससे कुछ उम्मीदवार चयन से वंचित हो गए हैं। यह सही रूप से नोट किया गया है कि संपूर्ण भ्रम अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों को गलत तरीके से पढ़ने के कारण उत्पन्न हुआ है, जो नियुक्ति के लिए आरक्षण प्रदान करता है। धारा 27 (एफ) में केवल यह कहा गया है कि यदि अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों की आवश्यक संख्या आरक्षण के अंतर्गत आने वाले समुदाय के लिए रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं, तो जिन रिक्तियों के लिए चालू वर्ष में चयन नहीं किया जा सका, उन्हें बैकलॉग रिक्तियों के रूप में माना जाना चाहिए। बाद की भर्ती में बैकलॉग रिक्तियों और विशेष समुदाय के लिए वर्तमान रिक्तियों की अलग–अलग घोषणा की जानी चाहिए। और सीधी भर्ती में सबसे पहले बैकलॉग रिक्तियों को समायोजित किया जाना चाहिए और उसके बाद ही मौजूदा रिक्तियों को समायोजित किया जाना चाहिए। अपीलकर्ताओं ने प्रावधान को इस तरह पढ़ा था जैसे बैकलॉग रिक्तियों को एमबीसी/डीएनसी श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाना चाहिए, चाहे उम्मीदवार की योग्यता या उसके द्वारा प्राप्त रैंक कुछ भी हो। प्राप्त किए गए उच्चतम अंक 109 थे और 90 अंकों तक उम्मीदवारों को सामान्य टर्न में फिट किया गया था और इस प्रकार उन उम्मीदवारों को उनके समुदाय के बावजूद सामान्य टर्न के तहत चुना जाना होगा। ये उम्मीदवार ही हैं जिन्हें बैकलॉग रिक्ति में फिट किया गया था जिससे समस्या उत्पन्न हुई है।"

63. इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पदों को भरने में संबंधित प्राधिकारी द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को दोहराया। कदम अपने शब्दों में स्पष्ट हैं: मामले के दिए गए तथ्यों में, उन सिद्धांतों या कदमों के आवेदन का तात्पर्य होगा:

(क) पहले सामान्य मेरिट सूची को भरा जाना;

(ख) विशेष आरक्षित श्रेणी की बैकलॉग रिक्तियों को उसके बाद "पहले" भरा जाना चाहिए; और

(ग) चालू वर्ष के लिए शेष आरक्षित रिक्तियों को उसके बाद भरा जाना चाहिए।"

64. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र नारायण ने तर्क दिया है कि विज्ञापन संख्या 02/2017 में बैकलॉग रिक्तियों की संख्या का खुलासा नहीं किया गया है। अनारक्षित उम्मीदवारों के बीच क्षैतिज आरक्षण को भरने के संबंध में संपूर्ण रिक्तियों को वर्तमान रिक्तियों के रूप में दिखाया गया था, पहले अनारक्षित उम्मीदवारों की पूरी मेरिट सूची भरी जानी थी। उसके बाद, कोटा पूरा करने के लिए अनारक्षित महिला उम्मीदवारों का अपेक्षित प्रतिशत पुरुष उम्मीदवारों से आगे बढ़ना चाहिए।

65. क्षैतिज रिक्ति के मामले में कोई रोस्टर बिंदु नहीं हो सकता है। रोस्टर बिंदु जाति, धर्म, अत्यधिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर लोगों के अलग–अलग वर्ग के संबंध में ऊर्ध्वाधर रिक्ति को संदर्भित करता है। अत: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र नारायण द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि यदि क्षैतिज आरक्षण कोटे का प्रतिशत छोड़े बिना भरा गया होता, तो सभी याचिकाकर्ता सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त हो गए होते।

66. इसके विपरीत, राज्य प्रतिवादियों की ओर से विद्वान महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं का मामला तीन अंतर्निहित भ्रांतियों से ग्रस्त है:–

"(i) अनारक्षित कोटे में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण 35% नहीं, बल्कि 34% है,

(ii) याचिकाकर्ताओं के मामले का आधार कोटे में कुल रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए रिक्तियों की गणना के आधार पर है। उन्होंने विज्ञापन संख्या 02/2017 के आधार पर आयोजित चयन प्रक्रिया में बैकलॉग रिक्तियों को ध्यान में नहीं रखा, जिन्हें भरा जाना आवश्यक था।

(iii) विद्वान महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि विज्ञापन संख्या 02/2017 में क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के लिए जारी परिपत्र को रोस्टर के साथ पढ़ा जाना चाहिए। रोस्टर प्रणाली के बिना आरक्षण नीति पर कोई भी चर्चा एक अपूर्ण और संक्षिप्त तर्क है जिस पर न्यायालय विचार नहीं कर सकता।

67. विद्वान महाधिवक्ता ने सर्वप्रथम रिट याचिका के अनुलग्नक–पी/2 में निहित विधिक राय का संदर्भ दिया है। अनिल कुमार गुप्ता (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार आरक्षण के आधार पर पदों को भरने से संबंधित नियम यह है कि 50% रिक्तियों को, जिन्हें योग्यता के आधार पर भरा जाना है, पहले खुली प्रतियोगिता में चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी से भरा जाए, फिर प्रत्येक सामाजिक आरक्षण कोटा अर्थात एससी, एसटी और बीसी को भरा जाए; तीसरा चरण यह पता लगाना होगा कि विशेष आरक्षण से संबंधित कितने उम्मीदवारों को उपरोक्त आधार पर चुना गया है। यदि क्षैतिज आरक्षण के लिए निर्धारित कोटा पहले से ही संतुष्ट है, तो यदि यह समग्र क्षैतिज आरक्षण है – तो कोई और प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन यदि यह संतुष्ट नहीं है, तो विशेष आरक्षण उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या को संबंधित सामाजिक आरक्षण श्रेणियों में से संबंधित उम्मीदवारों की संख्या को हटाकर समायोजित और समायोजित करना होगा। हालांकि, यदि यह विभाजित क्षैतिज आरक्षण का मामला है, तो ऊपर बताए अनुसार समायोजन/समायोजन के सत्यापन की प्रक्रिया को प्रत्येक ऊर्ध्वाधर आरक्षण पर अलग से लागू किया जाना चाहिए। ऐसे मामले में, विशेष श्रेणियों के पक्ष में 15% का आरक्षण समग्र रूप से संतुष्ट हो सकता है या संतुष्ट नहीं हो सकता है।

68. इस प्रकार, विद्वान महाधिवक्ता द्वारा यह आग्रह किया गया है कि अनारक्षित कोटे में बैकलॉग रिक्तियों को योग्यता के आधार पर भरते समय, 50% अनारक्षित कोटे में सफल उम्मीदवारों के संबंध में एक सूची तैयार की जानी है, फिर यह देखा जाना है कि खुली श्रेणी में कितनी महिला उम्मीदवारों का चयन किया गया था और चयनित महिला उम्मीदवारों की उक्त संख्या को 35% क्षैतिज आरक्षण की संख्या से घटा दिया जाएगा। शेष महिला उम्मीदवारों को महिलाओं के 35% कोटे को पूरा करने के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत समायोजित किया जाएगा। इसलिए, याचिकाकर्ताओं का यह कहना बिल्कुल गलत था कि वे अनारक्षित कोटे में कुल रिक्तियों में से 35 पदों के हकदार हैं और बी पी एस सी समायोजित करने में विफल रहा।

69. विद्वान महाधिवक्ता ने आगे कहा कि 2016 से पहले, कोई क्षैतिज आरक्षण नहीं था, इसलिए आरक्षण तय करने के लिए रोस्टर के आधार पर बैकलॉग रिक्तियों पर विचार करने की घोषणा की गई थी। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने अधिसूचना संख्या 2342 के परिशिष्ट (रिट याचिका के पृष्ठ 37 पर अनुलग्नक–पी/2) का हवाला दिया है। अधिसूचना में अनारक्षित श्रेणी में 34% रिक्तियों के संबंध में रोस्टर बिंदु 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85, 91 और 97 बताया गया है, जो कुल 100 पदों में से 17 पद हैं। इसी प्रकार अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के कोटे में क्षैतिज रिक्ति के संबंध में रोस्टर बिंदु उदाहरण के तौर पर बताया गया है।

70. विद्वान महाधिवक्ता ने बार–बार कहा है कि पदों का प्रतिशत और रोस्टर बिंदु आरक्षण का अभिन्न अंग हैं और इसे दोनों में से किसी एक के बिना लागू नहीं किया जा सकता है।

71. विद्वान महाधिवक्ता द्वारा यह बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 15.02.2016 के परिपत्र की वैधता को चुनौती नहीं दी है।

72. विद्वान महाधिवक्ता ने इसके बाद उत्तरवादी संख्या 5 और 6 की ओर से दायर जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ संख्या 9 और 10 का हवाला दिया है। पैराग्राफ संख्या 9 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य के पदों और सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया में महिला उम्मीदवारों के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण सैद्धांतिक रूप से है। वास्तव में, पिछड़े वर्गों (डब्ल्यूबीसी) की महिलाओं के लिए 3% ऊर्ध्वाधर आरक्षण इस क्षैतिज आरक्षण से पहले स्वीकार्य है, जिसका अर्थ है कि 35% क्षैतिज आरक्षण केवल 97% पदों के लिए स्वीकार्य है और 97% का 35% केवल 34 के रूप में आता है।

73. इस प्रकार, राज्य–प्रतिवादियों की ओर से यह तर्क दिया गया है कि यदि अनारक्षित श्रेणी में 100 उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, तो उनमें से 34% महिलाएं होंगी।

74. राज्य प्रतिवादियों की ओर से यह भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या 2342 दिनांक 15.02.2016 (रिट याचिका के अनुलग्नक–पी/2) के तहत तैयार किया गया है, जबकि प्रश्नगत विज्ञापन 2017 में प्रकाशित हुआ था। रोस्टर क्लीयरेंस के दौरान कुछ पदों की गणना विभिन्न श्रेणियों के लिए बैकलॉग के रूप में की गई थी, जो उक्त परिपत्र के लागू होने से पहले के थे, इसलिए बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण स्वीकार्य नहीं था।

75. तीसरा, प्रतिवादियों का मामला यह है कि चूंकि क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत सैद्धांतिक रूप से राज्य नीति के रूप में घोषित किया गया था, इसलिए केवल आदर्श स्थिति में जहां रोस्टर बिंदु 1 से 100 का उपयोग किया जाता है, महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण का संतुलन बनाए रखा जाता है, अर्थात महिलाओं के लिए 34 पद अनिवार्य रूप से उन्हें प्रदान किए जाते हैं। ऐसे मामले में, सभी निर्धारित रोस्टर अंक महिला वर्ग को मिलेंगे।

76. यह भी तर्क दिया गया है राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि यदि क्षैतिज रिक्ति वाले 35% पदों को भरने का प्रयास किया जाता है, तो इससे क्षैतिज आरक्षण का संतुलन बिगड़ जाएगा। उदाहरण के लिए, जब रोस्टर बिंदु 8, 9 और 10 का उपयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में, तीनों

रोस्टर बिंदु अलग–अलग श्रेणियों के लिए महिलाओं को जाते हैं। तथ्य यह है कि रोस्टर बिंदु 8 ई.बी.सी. (महिला) के लिए निर्धारित है, रोस्टर बिंदु 9 यू.आर. (महिला) के लिए निर्धारित है और रोस्टर बिंदु 10 एस.सी. (महिला) के लिए निर्धारित है। फिर से, जहां रोस्टर बिंदु 8 से 12 के बीच उपयोग किया जाता है, महिलाओं के लिए आरक्षण 80% है, दूसरी ओर जब रोस्टर बिंदु 50 से 54 का उपयोग किया जाता है, तो महिलाओं के लिए कोई पद निर्धारित नहीं है, यानी रोस्टर बिंदुओं में कोई भी पद क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। इस तरह के तर्क के समर्थन में, विद्वान महाधिवक्ता ने जवाबी हलफनामे के अनुलग्नक–डी का संदर्भ दिया।

77. वर्तमान मामले के तथ्यात्मक पहलू पर आते हुए, प्रतिवादियों द्वारा यह कहा गया है कि भवन निर्माण विभाग में 122 रिक्तियां रिपोर्ट की गई थीं, जिनमें से 38 पदों की गणना बैकलॉग के रूप में की गई थी। इस प्रकार, वर्तमान रिक्तियां केवल 84 थीं, जिसके विरुद्ध 22 पद महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण के रूप में उपलब्ध कराए गए थे। 122 पदों के लिए रोस्टर क्लीयरेंस दो लेन–देन में किया गया था। स्वाभाविक रूप से, उक्त मामले में क्षैतिज आरक्षण की कमी है।

78. ग्रामीण निर्माण विभाग में 250 रिक्तियां रिपोर्ट की गई थीं, जिनमें से 17 पदों की गणना बैकलॉग के रूप में की गई थी। इस प्रकार, वर्तमान में उपलब्ध रिक्तियां केवल 232 थीं, जिसमें 59 पदों के लिए रोस्टर क्लीयरेंस महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण के रूप में दिया गया था क्योंकि 250 पदों के लिए रोस्टर क्लीयरेंस दो लेन–देन में किया गया था, इस मामले में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की मामूली कमी है।

79. पथ निर्माण विभाग के संबंध में, 236 रिक्तियां थीं, जिनमें से 57 पदों की गणना बैकलॉग के रूप में की गई थी। इस प्रकार, रोस्टर क्लीयरेंस में वर्तमान रिक्तियां केवल 179 थीं, 56 पद महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण के रूप में दिए गए थे, क्योंकि 236 पदों के लिए रोस्टर क्लीयरेंस दो लेन–देन में किया गया था, महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण में मामूली कमी थी।

80. पुनः लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 64 रिक्तियां रिपोर्ट की गई थीं, जिनमें से 17 महिलाओं को क्षैतिज रिक्तियों के रूप में दी गई थीं। चूंकि, 64 पदों के लिए रोस्टर क्लीयरेंस तीन बार किया गया था, इस मामले में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण में स्वतः कमी है।

81. पुनः योजना एवं विकास विभाग में 270 रिक्तियां थीं, जिनमें से 92 पद महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण के रूप में दिए गए थे। चूंकि 270 पदों के लिए रोस्टर क्लीयरेंस एक बार में किया गया था। क्षैतिज आरक्षण का कोटा पूरी तरह से भर दिया गया है।

82. जल संसाधन विभाग में 280 रिक्तियां थीं, जिसके विरूद्ध 73 पद महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण के रूप में दिए गए थे, तथा 23 पद पिछड़ा वर्ग (डब्ल्यूबीसी) के लिए महिलाओं को दिए गए थे, बैकलॉग के रूप में इस मामले में क्षैतिज आरक्षण की कमी है, लेकिन यह रोस्टर क्लीयरेंस में डब्ल्यूबीसी के लिए बैकलॉग की गणना के कारण है।

83. लघु संसाधन विभाग में पूर्व में 56 रिक्तियां बताई गई थीं, लेकिन लेटर पैड पर रिक्तियों को संशोधित किया गया तथा केवल 31 पद रिक्त बताए गए, जिसके विरूद्ध दो पद बैकलॉग के रूप में तथा 5 पद महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण के रूप में दिए गए, क्योंकि 31 पदों के लिए रोस्टर क्लीयरेंस दो बार में किया जा चुका है, इस मामले में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण में भी मामूली कमी है।

84. इस प्रकार, पैराग्राफ संख्या 10 (i से vii) में यह स्वीकार किया गया है कि विज्ञापन संख्या 02/2017 के आधार पर बैकलॉग रिक्तियों को भी भरा गया था। बैकलॉग रिक्तियों के संबंध में कोई आरक्षण नहीं था। तीसरा, 35% क्षैतिज रिक्तियों की गणना उपरोक्त विज्ञापन में घोषित रिक्त सीटों में से बैकलॉग रिक्तियों को घटाने के बाद ही की गई थी और चौथा, महिलाओं के 35/34% आरक्षण को भरने के संबंध में गणना की प्रक्रिया में कुछ कमी थी।

85. विद्वान महाधिवक्ता ने इसके बाद उत्तरवादी संख्या 5 की ओर से 13.05.2022 को दायर पूरक जवाबी हलफनामे के अनुलग्नक–जी पर भरोसा किया। अनुलग्नक–जी के टिप्पणी कॉलम में, जो राज्य सरकार या बी.पी.एस.सी. के किसी प्राधिकार सदस्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित दस्तावेज नहीं है, यह कहा गया है कि योजना एवं विकास विभाग में 270 अभ्यर्थियों में से अनुमेय क्षैतिज आरक्षण संख्या 92 है तथा 92 अभ्यर्थियों की नियुक्ति इस कारण हुई कि कुल 270 पदों का रोस्टर क्लीयरेंस एक ही बार में कर लिया गया, अतः महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या पूर्ण रूप से भर ली गई।

86. लघु संसाधन विभाग में बैकलॉग रिक्तियों को छोड़कर 31 पदों में से क्षैतिज आरक्षण से भरे जाने वाले 11 पद थे तथा 5 पद भरे गए, क्योंकि पूर्व में प्रशासी विभाग द्वारा कुल रिक्ति 56 बताई गई थी। बाद में इसमें संशोधन कर 31 पदों के लिए रोस्टर बनाया गया, जिसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए बैकलॉग के रूप में 02 पद उपलब्ध करा दिए गए हैं। रोस्टर के उक्त संशोधन के कारण महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या में कमी दृष्टिगोचर हो रही है।

87. जल संसाधन विभाग के संबंध में 270 रिक्तियां थीं, जिनमें से 92 पद क्षैतिज आरक्षण के रूप में निर्धारित किए गए तथा 73 पद भरे गए। टिप्पणी कॉलम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 23 पद उपलब्ध कराए गए हैं। इस प्रकार पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए बैकलॉग के

रूप में 23 पद उपलब्ध होने के कारण महिलाओं के लिए आरक्षण के अंतर्गत पदों की कमी दृष्टिगोचर हो रही है।

88. भवन निर्माण विभाग के संबंध में 84 पद घोषित किए गए, जिनमें से 29 पद क्षैतिज आरक्षण के रूप में निर्धारित किए गए, उक्त 29 पदों में से 22 पद भरे गए। कारण कि कुल 122 पदों (32 पद बैकलॉग सहित) के लिए रोस्टर क्लीयरेंस दो बार में किया जा चुका है। अतः महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या में कुछ रिक्तियाँ थीं।

89. ग्रामीण विकास विभाग में रिक्त 233 पदों में से महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की संख्या 79 थी, लेकिन 59 पद भरे गए। कारण यह है कि कुल 250 पदों (17 पद बैकलॉग सहित) के लिए रोस्टर क्लीयरेंस दो बार में किया गया है। इसलिए महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत कुछ रिक्तियाँ थीं।

90. पथ निर्माण विभाग के संबंध में रिक्त घोषित 179 पदों में से क्षैतिज आरक्षण की संख्या 80 थी और उक्त 80 पदों में से 56 पद भरे गए। कुल 236 पदों (57 पद बैकलॉग सहित) के लिए रोस्टर क्लीयरेंस दो बार में किया गया है, इसलिए क्षैतिज रिक्तियों को भरने में कुछ विसंगति थी।

91. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 64 पद थे, जिनमें से क्षैतिज रिक्तियों की संख्या 22 थी और 17 पद भरे गए, क्योंकि रोस्टर क्लीयरेंस तीन बार में किया गया था और यह स्वाभाविक है कि महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत पदों की संख्या में कमी होगी।

92. मैंने पहले ही बताया है कि सी डब्ल्यू जे सी संख्या 15520/2021 के याचिकाकर्ता ने 01.03.2023 को तीसरा पूरक हलफनामा दायर किया है। उक्त पूरक हलफनामे में याचिकाकर्ता ने सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव को 24.08.2022 को लिखे गए पत्र को संलग्न किया है।

93. उक्त पत्र के कंडिका क्रमांक 3 में उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संकल्प संख्या 962 दिनांक 22.01.2021 के कंडिका (9) का संदर्भ देते हुए अन्य बातों के साथ–साथ निम्नानुसार उल्लेख किया है:–

> **"जहां किसी भर्ती वर्ष में उपर्युक्त दिव्यांगजनों की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से रिक्ति नहीं भरी जा सकती है, ऐसी रिक्ति को अनारक्षित श्रेणी में अंकित करते हुए आगामी भर्ती वर्ष में आगे बढ़ा दिया जाएगा।"**

94. उक्त पत्र के कंडिका क्रमांक 4 में यह भी कहा गया है:–

> "4. अतः माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 17.05.2022 को CWJC संख्या 15520/2021 (सुषमा कुमारी बनाम बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य) में पारित आदेश तथा दिनांक 18.08.2022 को एम जे सी संख्या 1247/2022 (सुषमा कुमारी बनाम बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य) के आलोक में तथा राज्य सरकार द्वारा सी डबल्यू जेसी संख्या 15520/2021 में पारित आदेश के विरुद्ध दायर LPA संख्या 309/2022 (बिहार राज्य एवं अन्य बनाम सुषमा कुमारी) में पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश के अधीन, बिहार लोक सेवा आयोग को याचिकाकर्ता सुश्री सुषमा कुमारी को पूर्व में अधियाचित किन्तु विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित 17 अनारक्षित रिक्त पदों में से रिक्त पद पर चयन करने की अनुमति दी जाती है। अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत के क्षैतिज आरक्षण के विरुद्ध, फिलहाल केवल 1(एक) पद के लिए संशोधित अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जा रही है।

95. इस प्रकार, सी डब्ल्यू जे सी संख्या 15520/2021 के याचिकाकर्ता को बैकलॉग रिक्ति के माध्यम से शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए निर्धारित एक पद के संबंध में नियुक्त किया गया था।

96. जवाब में, याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि 100 अंक का मॉडल रोस्टर क्षैतिज आरक्षण के मामले में लागू नहीं है, क्योंकि, मामले बिहार अधिनियम 02/2019 (ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षण) के प्रभावी होने के बाद की गई भर्ती के लिए हैं। हालाँकि, वर्तमान मामला विज्ञापन संख्या 02/2017 दिनांक 03.03.2017 के अनुसार सहायक अभियंता (सिविल) से संबंधित है और इस प्रकार विद्वान महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत 100 सूत्रीय मॉडल रोस्टर वर्तमान मामले के न्यायनिर्णयन में कोई प्रासंगिकता नहीं रखता है।

97. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी –राज्य द्वारा की गई गणना का आधार तुलनात्मक चार्ट में दिखाए गए विभागवार उम्मीदवार से स्पष्ट नहीं है। वास्तव में, तुलनात्मक चार्ट के माध्यम से भी उत्तरवादी –राज्य ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रश्नगत भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं को श्रेणीवार 35% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने में कमी थी।

98. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि तुलनात्मक चार्ट के अनुसार, विज्ञापन संख्या 02/2017 में विज्ञापित विभागवार रिक्तियों को महिला

आरक्षण की गणना के लिए इस आधार पर कम कर दिया गया है कि वे बैकलॉग रिक्तियां हैं जिन्हें कथित तौर पर पिछली भर्ती प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाया गया था। हालाँकि, न तो विज्ञापन और न ही कोई दलील उत्तरवादी –राज्य के इस दावे का समर्थन करती है और इसलिए इस तर्क के इस चरण में इसे अनदेखा किया जा सकता है।

99. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि प्रस्तुत तुलनात्मक आरोप के मात्र अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादियों ने महिलाओं के लिए किए गए 35% क्षैतिज आरक्षण को ठीक से लागू करने में गलती की है।

100. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि समस्या इस तथ्य के कारण उत्पन्न हुई है कि उत्तरवादी क्षैतिज आरक्षण को उसी तरह लागू कर रहे हैं जैसे वे ऊर्ध्वाधर आरक्षण को लागू करते। उत्तरदाताओं द्वारा इस गलत आवेदन के परिणामस्वरूप एक विशेष स्थिति उत्पन्न हुई है, जहां 35% क्षैतिज आरक्षण प्राप्त नहीं किया जा सका।

101. उत्तरदाताओं ने प्रत्येक के लिए मॉडल रोस्टर प्वाइंट पर भरोसा करके कमी को समझाने की कोशिश की। विभाग। यह तर्क दो मामलों में त्रुटिपूर्ण है: सबसे पहले, दिए गए रोस्टर बिंदुओं के कार्यान्वयन के लिए कोई दलील या दस्तावेजी आधार नहीं है। दूसरे, यह तर्क नहीं बनता है कि किसी दी गई नीति के तहत 35% क्षैतिज आरक्षण, दिए गए रोस्टर बिंदुओं के कारण कभी हासिल नहीं किया जा सकता है।

102. बीपीएससी की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील ने राज्य के विद्वान महाधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुति को अपनाया है।

103. विद्वान वरिष्ठ वकीलों द्वारा सबसे विद्वतापूर्ण और व्यापक तरीके से की गई प्रस्तुति पर विचार करने के बाद, मैं शुरू में यह बताना चाहता हूं कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण से संबंधित मुद्दा और दोनों के बीच वास्तविक अवधारणा और साथ ही अंतर, यदि कोई हो, और कई मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय के विषय। ***इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ ने 1992 अनुपूरक 3 एस सी सी 217*** में रिपोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आरक्षण दो प्रकार के होते हैं; ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण क्षैतिज आरक्षण की अवधारणा के साथ संगत नहीं है।

104. संक्षेप में, ऊर्ध्वाधर आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक सामाजिक आरक्षण है। यह विशेष प्रावधान का उच्चतर रूप है और कुल सीटों का 50% नहीं हो सकता है। इसके विपरीत, क्षैतिज आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(3) और 16(1) के तहत महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर समुदाय जैसे अन्य वंचित नागरिकों के लिए एक विशेष आरक्षण है। यह विशेष प्रावधान का एक छोटा रूप है और ऊर्ध्वाधर आरक्षण को काटता है।

105. तमिलनाडु राज्य और अन्य बनाम के. शोभना और अन्य, (2021) 4 एस सी सी 686 में रिपोर्ट किए गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2021) 4 एस सी सी 542 में रिपोर्ट किए गए अपने पिछले फैसले पर भरोसा करते हुए के.आर. शांति बनाम तमिलनाडु राज्य, (2012) एस सी सी ऑनलाइन मैड. 5451 में रिपोर्ट किए गए मद्रास उच्च न्यायालय की एकल पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए क्षैतिज आरक्षण पर पदों को भरने के तरीकों और साधनों को मंजूरी दी, उक्त निर्णय का पैराग्राफ संख्या 14, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुन: प्रस्तुत किया गया है, नीचे उद्धृत किया गया है:–

> "14. उपरोक्त निर्णयों का अवलोकन करने से कम से कम दो बातें संदेह से परे रहेंगी। सबसे पहले, रोस्टर रिक्ति आधारित नहीं है, बल्कि यह केवल पद आधारित है। यह ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित पदों की संख्या तथा खुले कोटे के साथ–साथ विशेष आरक्षण के लिए छोड़े गए पदों की संख्या की पहचान करता है। दूसरे, पदों की पहचान करने के बाद, यह गणना की जानी चाहिए कि वर्तमान चयन में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कितनी रिक्तियां भरी जानी हैं। यदि एक बार वर्तमान चयन में प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित रिक्तियों की संख्या रोस्टर का उपयोग करके पहचान ली जाती है, तो उसके बाद चयन के मामले में रोस्टर की कोई भूमिका नहीं रह जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित रिक्तियों की संख्या की पहचान करने के बाद, प्रत्येक श्रेणी के लिए चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर नीचे दी गई विधि का पालन करते हुए किया जाना चाहिए:
>
> पहला चरण:
>
> (i) खुले कोटे के लिए निर्धारित रिक्तियों की संख्या के विरुद्ध, जाति, लिंग, शारीरिक रूप से विकलांग आदि के बावजूद सभी को योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(ii) खुले कोटे के अंतर्गत उपरोक्त रिक्तियों के विरुद्ध सबसे पहले मेधावी उम्मीदवारों का चयन किया जाना चाहिए।

दूसरा चरण:

(iii) प्रथम चरण पूरा करने के पश्चात, ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणियों में आगे बढ़ते हुए, प्रत्येक श्रेणी के लिए विशेष आरक्षित श्रेणी (ऊर्ध्वाधर) से संबंधित शेष अभ्यर्थियों में से योग्यता के आधार पर चयन किया जाना है।

तीसरा चरण:

(iv) दूसरा चरण पूरा करने के पश्चात, ऊर्ध्वाधर आरक्षण को काटने वाले क्षैतिज आरक्षण का सत्यापन किया जाना है कि क्या क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत नियुक्त किए जाने के लिए अन्यथा पात्र अभ्यर्थियों की अपेक्षित संख्या ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अंतर्गत चयनित हुई है या नहीं।

(v) ऐसे सत्यापन पर, यदि यह पाया जाता है कि विशेष आरक्षण (क्षैतिज आरक्षण) को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है, तो अपेक्षित संख्या में विशेष आरक्षण अभ्यर्थियों को लिया जाना होगा तथा उनमें से अभ्यर्थियों की संगत संख्या को हटाकर सामाजिक आरक्षण श्रेणियों के विरुद्ध समायोजित/समायोजित किया जाना होगा।

(vi) ऊर्ध्वाधर आरक्षण में रिक्तियों को भरते समय भी, यदि क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या नियुक्त की गई है, तो क्षैतिज आरक्षण के तहत विशेष रूप से कोई और नियुक्ति नहीं होगी।

सावधानी:

(vii) किसी भी स्थिति में, खुले कोटे के तहत किसी पद के विरुद्ध चयनित उम्मीदवारों को शेष पदों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा।

106. ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए, लोक सेवा आयोग पर यह दायित्व है कि वह अनारक्षित और आरक्षित उम्मीदवारों के विभिन्न कोटे से महिलाओं के लिए आरक्षित क्षैतिज आरक्षण का

35% भरे। यदि मेरिट के आधार पर कुछ महिला उम्मीदवार पहले से ही चयन सूची में भर्ती हैं, तो संख्या का प्रतिशत महिला आरक्षण के कुल 35% से घटा दिया जाएगा।

107. न तो बी.पी.एस.सी. और न ही राज्य–प्रतिवादियों ने चयनित सूची के प्रकाशन और उम्मीदवारों की भर्ती से पहले उक्त अभ्यास किया है।

108. ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए, ***बी.पी.एस.सी. को तमिलनाडु राज्य बनाम के. शोभना, (2021) 4 एस सी सी 686*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अभ्यास करने का निर्देश दिया जाता है।

109. चूंकि, बी.पी.एस.सी. क्षैतिज आरक्षण को भरने के बाद के चरण में या तर्क के चरण में विज्ञापन में बैकलॉग रिक्ति के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है, उत्तरवादी इस तरह की दलील को बचाव के मामले के रूप में नहीं ले सकते हैं। इस संबंध में, यह न्यायालय **ए.ई.जी. कैरापीट बनाम ए.वाई. डेरडेरियन** के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ के प्रसिद्ध निर्णय पर लाभप्रद रूप से भरोसा कर सकता है, जिसे **एआईआर 1961 कलकत्ता 359** में रिपोर्ट किया गया था, उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 10 में यह देखा गया है:–

> "10. इस विषय पर कानून स्पष्ट है। जहां भी प्रतिद्वंद्वी ने अपने आवश्यक और भौतिक मामले को जिरह में रखने का अवसर लेने से इनकार कर दिया है, इसका पालन करना चाहिए कि उनका मानना था कि दी गई गवाही पर बिल्कुल भी विवाद नहीं किया जा सकता है। यह सोचना गलत है कि यह केवल साक्ष्य का एक तकनीकी नियम है। यह आवश्यक न्याय का नियम है। यह मुकदमे में अचानक होने वाली घटनाओं और न्याय की विफलता को रोकने का काम करता है, क्योंकि यह वास्तविक मामले के दूसरे पक्ष को सूचित करता है, जब उस पक्ष की बारी आती है, जिसकी ओर से जिरह की जा रही है, और वह गवाहों को पेश करके साक्ष्य देने और नेतृत्व करने के लिए आता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के उच्च अधिकार पर यह कहा गया है कि जिरह करते समय एक वकील इतना करने के लिए बाध्य है कि उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रत्येक गवाह को बारी–बारी से अपने मामले के बारे में उतना ही बताना चाहिए, जितना उस विशेष गवाह से संबंधित हो या जिसमें उस गवाह का कोई हिस्सा हो। यदि वह इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछता है, तो उसे वादी के विवरण को पूरी तरह से स्वीकार करने वाला माना जाना चाहिए। इस तरह की विफलता न्याय की विफलता का कारण बनती है, सबसे पहले पक्षकार को आश्चर्य होता है जब वह

अपने गवाहों का साक्ष्य समाप्त कर चुका होता है और जब उसके पास नए मामले को देखने का कोई और मौका नहीं होता है, जिसे कभी रखा ही नहीं गया था और दूसरी बात, क्योंकि इस तरह की बाद की गवाही का परीक्षण और पुष्टि होने का कोई मौका नहीं होता है।

110. एक रिट याचिका में जवाबी हलफनामे में दिए गए बयान को जवाबी साक्ष्य के बराबर माना जा सकता है, जिसमें प्रतिवादियों का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वे न केवल अभियोजन पक्ष के मामले को नकारें बल्कि इस आशय का अपना मामला भी प्रस्तुत करें कि विज्ञापन संख्या 02/2017 में विज्ञापित रिक्तियों की संख्या में बैकलॉग रिक्तियां भी शामिल थीं। ऐसे मामले की अनुपस्थिति में, बाद के तर्क पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और इसे इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

111. उपरोक्त कारणों से, तत्काल रिट याचिका का निपटारा बी.पी.एस.सी. उत्तरवादी संख्या 4 और 5) को घोषित अनारक्षित कोटे के विरुद्ध घोषित प्रतिशत के अनुसार क्षैतिज रिक्ति की पुनर्गणना करने और कट ऑफ अंक को फिर से लिखने का निर्देश देते हुए किया जाता है। याचिकाकर्ताओं के संबंधित मामले का निर्णय लोक सेवा आयोग द्वारा उपरोक्त अवलोकन के आलोक में निर्धारित किए जाने वाले नए कट ऑफ अंक के आधार पर किया जाएगा। संपूर्ण अभ्यास इस आदेश के संचार की तारीख से 60 दिनों के भीतर किया जाएगा।

12. उपरोक्त निर्देश के साथ, रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।

(बिबेक चौधरी, न्यायमूर्ति)

मो. राशिद/–

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।